रा.स.वि.नि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/ सहाय्यित गतिविधियों का सार-संग्रह

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

www.ncdc.in

रा.स.वि.नि. की उपस्थिति

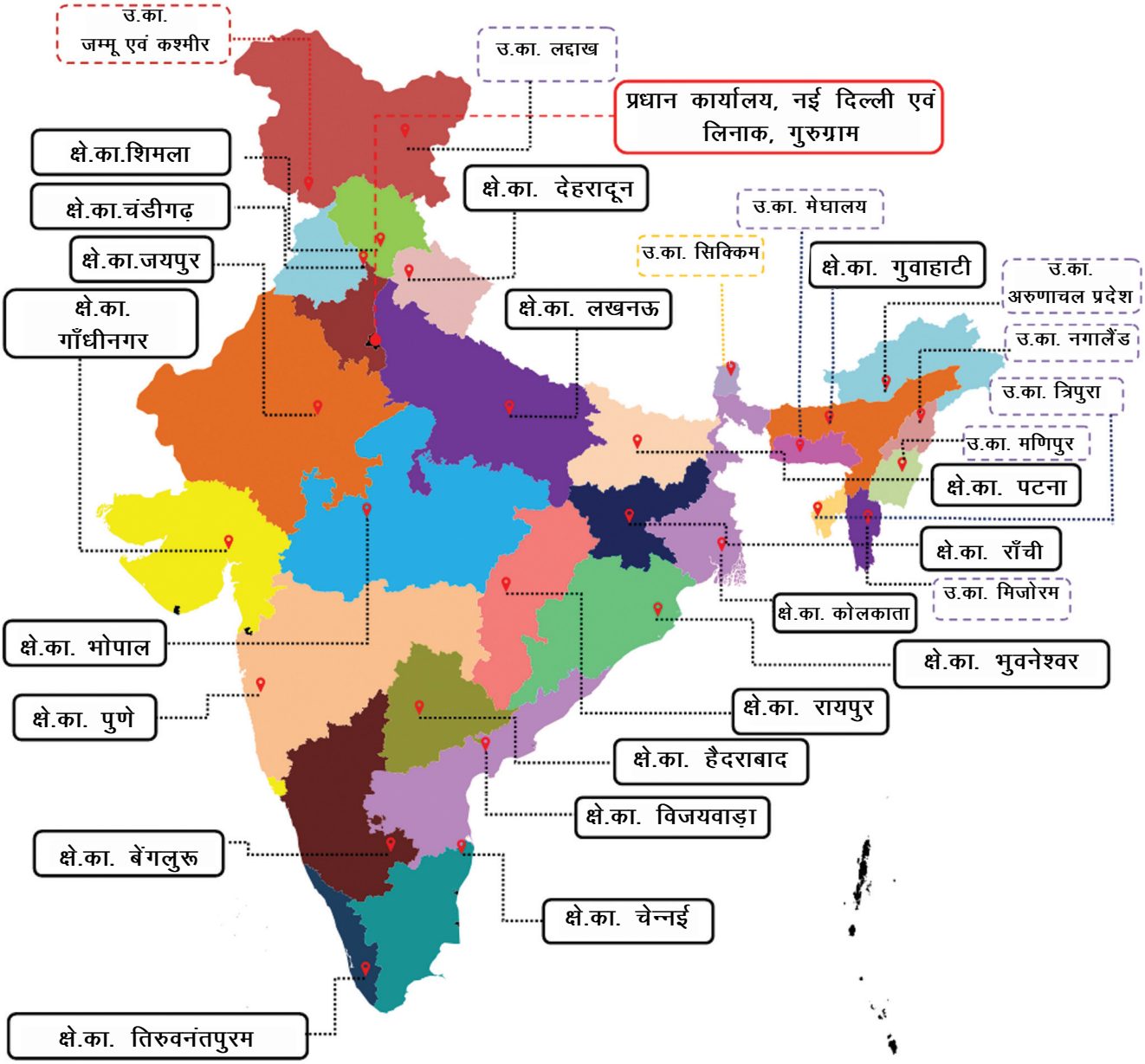

नक्शा पैमाने के अनुसार नहीं

विषयसूची

क्रम संख्या	विषयवस्तु		पृष्ठ संख्या
1	**राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- एक संक्षिप्त परिचय**		**1**
2	**भाग क : निगम प्रायोजित योजना**		
	(i) सहायता प्राप्त गतिविधियां एवं वित्त पोषण पद्धति		2-6
	(ii) रा.स.वि.नि. के मुख्य उत्पाद		7
	क.	युवा सहकार	8
	ख.	नंदिनी सहकार	9-10
	ग.	स्वयं शक्ति सहकार योजना	11
	घ.	दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना	12
	ङ.	रा.स.वि.नि. नकद क्रेडिट ऋण	13-14
	(iii) रा.स.वि.नि. सहायता के अन्य नियम एवं शर्तें		15-17
3	**भाग ख : रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य मंत्रालयों/ विभागों की योजनाएं**		**18-19**
	क.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान योजना	20
	ख.	कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना	21-22
	ग.	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	23
	घ.	कृषिक अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना	24
	ङ.	कृषिक विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईएटी)	25
	च.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) (i) मत्स्य-पालन किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन (ii) प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएमएमएसवाई के अंतर्गत उप योजना)	26-28
	छ.	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)	29
	ज.	10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना	30-32
	झ.	(i) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन हेतु योजना (ii) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) – एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी) के लिए अवसंरचना सृजन हेतु योजना	33-34
	ञ.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	35
	ट.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)	36-37
	ठ.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)	38
	ड.	पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)	39-41
	ढ.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)	42
	ण.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)	43
	त.	कृषि यंत्रीकरण उप -मिशन (एसएमएएम)	44

क्रम संख्या	विषयवस्तु		पृष्ठ संख्या
4	**भाग ग: सहकारी क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएँ**		**45**
	क.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एससीएलसीएसएस) की प्रौद्योगिक सक्षमता हेतु विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी	46
	ख.	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	47-48
	ग.	प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)	49-50
	घ.	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम	51-52
	ङ.	(i) बायोमास कार्यक्रम	
		(ii) बायोगैस कार्यक्रम	
		(iii) अपशिष्ट से ऊर्जा	
	च.	कच्चा माल आपूर्ति योजना	53
	छ.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	54
	ज.	राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम	55
	झ.	जूट कच्चा माल बैंक योजना (जेआरएमबी)	56
	ञ.	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) 2.0	57-58
	ट.	डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी एवं एफपीओ) को सहायता	59

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम - एक संक्षिप्त परिचय

1. रा.स.वि.नि. की स्थापना मार्च, 1963 में संसद के एक अधिनियम (रा.स.वि.नि. अधिनियम 1962) तथा वर्ष 1974 एवं 2002 में संशोधित अधिनियम के तहत की गई थी । रा.स.वि.नि. के गतिविधियों के दायरे को वर्ष 2003, 2005 और 2010 में संशोधनों द्वारा और बढ़ाया गया । निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करने तथा फसलोत्तर सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है ।

2. निगम, कृषि विपणन एवं निवेश, प्रसंस्करण, भंडारण तथा कृषि उत्पादों के विपणन सबंधी गतिविधियों तथा बीजों, उर्वरक तथा अन्य कृषि निवेशों आदि की आपूर्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है । निगम गैर कृषि क्षेत्र में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि तथा कुछ अधिसूचित सेवाओं जैसे जल संरक्षण कार्य, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की रोकथाम, कृषि बीमा और कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता, श्रम सहकारिताएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, ऊर्जा के नए गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों द्वारा बिजली के उत्पादन एवं वितरण, ग्रामीण आवास, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा सहकारिताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आय सृजन कार्यकलापों को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है ।

3. निगम का सचिवालय प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में संचालित होता है तथा अपने प्रधान कार्यालय, 19 क्षेत्रीय कार्यालयों - बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा तथा 9 उप कार्यालयों - जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से कार्य करता है। रा.स.वि.नि. देश में सहकारी क्षेत्र के लिए एक विकासात्मक वित्तपोषण संस्थान है।

4. रा.स.वि.नि. निर्धारित सेवा एवं शर्तों के आधार पर सहकारी समितियों को राज्य सरकार के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रुप से ऋण प्रदान करता है । रा.स.वि.नि. ऋण (आवधिक ऋण तथा निवेश ऋण) तथा सब्सिडी (भारत सरकार से उपलब्धता के अनुसार) के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

5. पिछले 7 वर्षों के दौरान संवितरण:

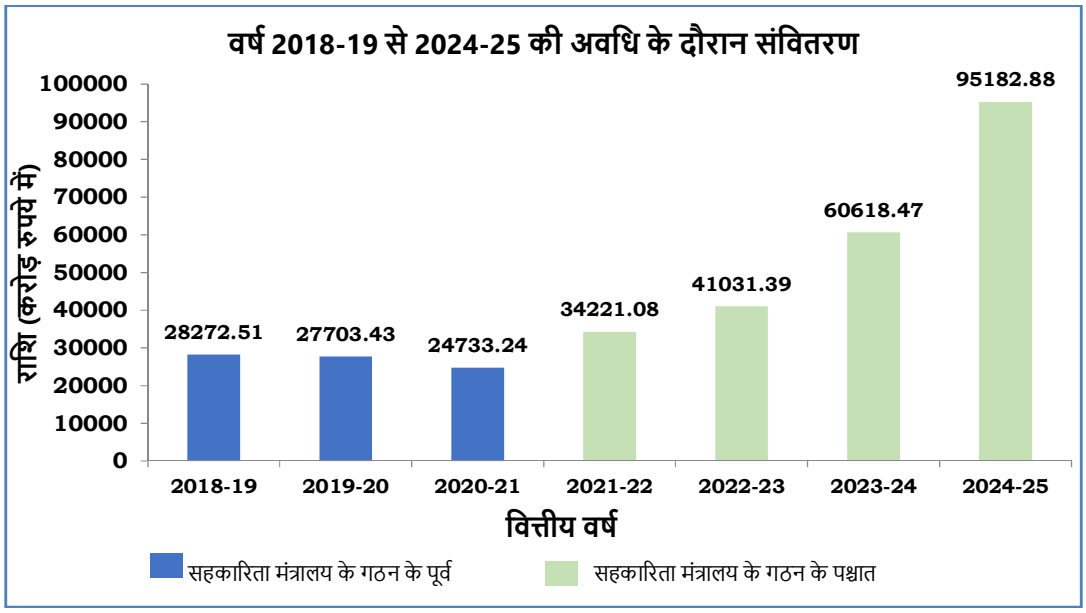

भाग क : निगम प्रायोजित योजना

सहायता प्राप्त गतिविधियां :

रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (आवधिक ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण अवयव रा.स.वि.नि. के स्वयं की निधि से प्रदान किया जाता है, जबकि योग्य सब्सिडी अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के समन्वय के पश्चात प्रदान की जाती है । रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता प्रदत्त गतिविधियों की सूची इस प्रकार है :-

क) विपणन:

- मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता।
- प्राथमिक/जिला विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण ।
- फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद।
- कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण।

ख) प्रसंस्करण:

- नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण) ।
- वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण और आवधिक ऋण)
- नई कताई मिलों की स्थापना/वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/ विस्तारण/ पुर्नस्थापना।
- वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना ।
- लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाइयाँ प्री/पोस्ट लूम प्रसंस्करण/ गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयाँ ।
- खाद्यान्न/ तिलहन /बागानी फसलें/फल एवं सब्जी/मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना ।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता ।
- नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता ।

ग) भंडारण:

- गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत/नवीकरण ।
- मार्जिन-मनी/कार्यशील पूंजी सहायता ।

घ) शीत श्रृंखला:

- शीत भंडारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण ।
- शीत श्रृंखला अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यत: (i) एकीकृत पैक हाउस (ii) परिवहन (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास-थोक) (iv) शीत भण्डारण (बाजार के पास हब) (v) राइपिंग यूनिट इत्यादि शामिल हैं ।
- मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता ।

ङ) औद्योगिक:

- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्त शिल्प / ग्रामीण शिल्पी आदि।

च) सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण

- संरचनाओं जैसे शॉपिंग केन्द्रों, डीजल/केरोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण/विस्तारण/ आधुनिकीकरण ।
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद ।
- मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता ।

छ) ऋण एवं सेवा सहकारिताएं/अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण/कृषि बीमा ।
- जल संरक्षण कार्य/सेवाएं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई ।
- पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम ।
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल-जल व्ययन प्रणाली ।
- पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन ।
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण।
- ग्रामीण आवासीकरण ।
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा ।
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना निर्माण ।

ज) सहकारी बैंकिंग इकाई:

- आधुनिक बैंकिंग इकाईयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता ।

झ) कृषिक सेवाएं:

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र।
- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र ।
- कृषि निविष्टियों के उत्पादन एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना ।
- सिंचाई/जल संग्रहण कार्यक्रम ।

ञ) जिला योजना स्कीमें:

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं।

ट) कमजोर वर्गों की सहकारिताएं:

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु. जा., जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताएं।

ठ) सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु सहायता:

- कम्प्यूटर/हार्डवेयर, सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद/स्थापना, नेटवर्किंग, रखरखाव लागत, तकनीकी जनशक्ति, तथा क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

ढ) संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम

वित्त पोषण पद्धति :

क. व्यवसाय विकास एवं अवसंरचना सृजन :

व्यवसाय विकास गतिविधियों हेतु रा.स.वि.नि. द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रों/गतिविधियों के लिए सभी प्रकार की राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय एवं प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान की जाती है तथा अवसंरचनात्मक सृजन के लिए आवधिक ऋण और मार्जिन मनी ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त पोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है :-

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
संरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएं):	
ऋण* 90% तक	70% तक ऋण
समिति का हिस्सा - न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा - न्यूनतम 30%
मार्जिन मनी:	
ऋण* बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूंजी:	
रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता के अधीन	रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता के अधीन

**राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण एवं /या अंश पूंजी तथा /या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है।*
नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, योजना के अनुसार सहायता की पद्धति होगी ।

ख. अन्य प्रसंस्करण इकाइयाँ:

(i) चीनी मिल

सम्मिलित गतिविधियाँ एवं वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:

कार्यकलाप	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
नई चीनी इकाई	आ.ऋण - 60%; निवेश ऋण - 30%, स. यो. -10%	आ.ऋण - 60%; हि.पूंजी - 30%, स.यो.-10%	आ.ऋण- 70% स.यो.-30%
आधुनिकीकरण/विस्तार	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
कार्यशील पूंजी	आवश्यकतानुसार ऋण	आवश्यकतानुसार ऋण	आवश्यकतानुसार ऋण
चीनी उपोत्पाद (i) सह-उत्पादन तथा (ii) एथेनॉल इकाई	आ.ऋण -90% स.यो.-10%	आ.ऋण-90% हि.पूंजी/ स.यो. -10%	आ.ऋण-90% स.यो.-10%

(पीसी- परियोजना लागत; टीएल- आवधिक ऋण; नि.ऋ.-निवेश ऋण; हि.पूं. - हिस्सा पूंजी; स.यो.- सदस्य योगदान)

नोट 1: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, सहायता की पद्धति योजना के अनुसार होगी ।
नोट 2: राज्य सरकारों को निवेश ऋण केवल उन्हीं चीनी सहकारी समितियों के लिए प्रदान किया जाएगा जिन्होंने वित्तीय संस्थानों/बैंकों से आवधिक ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर ली है तथा संयंत्र एवं मशीनरी आदि के लिए आदेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नई चीनी सहकारी समितियों के लिए आवधिक ऋण घटक वित्तीय संस्थानों/बैंकों आदि द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(ii) सहकारी कताई और जिनिंग कार्यक्रम

सम्मिलित गतिविधियाँ एवं वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:

(क) अवसंरचनात्मक ढांचा

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
(क) नई इकाइयों की स्थापना/मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार	
90% तक ऋण* समिति का हिस्सा - न्यूनतम 10%	70% तक ऋण समिति का हिस्सा - न्यूनतम 30%
(ख) रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास	
90% तक ऋण* समिति का हिस्सा# - न्यूनतम 10%	लागू नहीं (राज्य सरकार की भागीदारी अनिवार्य है)

** राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण एवं/या हिस्सा पूंजी तथा /या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है।*

#आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार भी इसमें योगदान दे सकती है।

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, वित्तपोषण पद्धति योजना के अनुसार होगी ।

(ख) मार्जिन मनी

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
मार्जिन मनी सहायता	
100% तक ऋण*	100% ऋण

** राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण तथा /या हिस्सा पूंजी तथा /या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को दे सकती है।*

(ग) कार्यशील पूंजी

रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता की शर्त पर ।

घ. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)

रा.स.वि.नि. के अधिदेश के अंतर्गत सभी गतिविधियां आईसीडीपी के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है:-

रा.स.वि.नि. से राज्य/संघ राज्य सरकार को	राज्य/संघ राज्य सरकार से समिति को
ऋण - 100% आईसीडीपी के अंतर्गत सम्मिलित किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र सरकार के विभाग से सब्सिडी, यदि कोई हो, उपलब्ध है, तो उसे लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।	ऋण + हिस्सा पूंजी + राज्य सब्सिडी (यदि कोई हो) - 100% आईसीडीपी के तहत सम्मिलित किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से सब्सिडी, यदि कोई हो, उपलब्ध है, तो उसे लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।

नोट: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, योजना के अनुसार वित्त पोषण पद्धति होगी।

रा.स.वि.नि. द्वारा राज्य सरकार को संवितरित वित्तीय सहायता अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसका भुगतान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा । अवसंरचना विकास के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर 3 साल की स्थगन अवधि होगी, जबकि अन्य ऋणों जैसे मार्जिन मनी, हिस्सा पूंजी आदि के पुनर्भुगतान के लिए कोई स्थगन अवधि नहीं होगी। इसके अलावा, ब्याज के भुगतान पर भी कोई स्थगन अवधि नहीं होगी ।

यदि उपरोक्त योजनाओं के तहत सम्मिलित किसी भी पात्र गतिविधि के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं से सब्सिडी/ब्याज छूट, यदि उपलब्ध हो तो, उसे समायोजित करके लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जाएगा तथा रा.स.वि.नि. द्वारा ऋण की समतुल्य राशि कम कर दी जाएगी ।

रा.स.वि.नि. के मुख्य उत्पाद

क) युवा सहकार : सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार योजना: इस योजना का उद्देश्य नए एवं /या नवीन विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है।

ख) नंदिनी सहकार: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करना तथा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यम गतिशीलता को सहयोग प्रदान करना है। यह महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं की ब्याज छूट के महत्वपूर्ण निवेशों को सम्मिलित करेगा।

ग) स्वयं शक्ति सहकार योजना: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने के लिए कृषिक ऋण सहकारी समितियों को रा.स.वि.नि. की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना है ।

घ) दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना: रा.स.वि.नि. के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों /वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा अपने उधारकर्ताओं को दीर्घावधि ऋण/अग्रिम प्रदान के लिए रा.स.वि.नि. की दीर्घावधि वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।

ङ) रा.स.वि.नि. नकद क्रेडिट ऋण: सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी योजना, वाणिज्यिक बैंक नकद ऋण सीमा के अनुसार 20 करोड़ रुपये तक के ऋण का प्रस्ताव - सरल निकासी, बिना प्रसंस्करण शुल्क, तथा वार्षिक नवीनीकरण विकल्प सहित ।

*****

क. युवा सहकार- सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार योजना

उद्देश्य: इस स्कीम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है।

पात्रता:

क) नवीन, नवाचारी एवं मूल्य श्रृंखला संवर्धन योजना समेत किसी भी प्रकार की सहकारिताएं ।
ख) सहकारी समिति न्यूनतम तीन महीने से कार्यरत होनी चाहिए ।
ग) सहकारी समिति का सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए ।
घ) सहकारी समिति को परिचालन के पिछले वर्षों के दौरान नकद राशि की हानि नहीं होनी चाहिए, जैसा लागू हो,और पिछले तीन वर्षों में कोई नकद राशि की हानि नहीं हुई है (यदि समिति 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है) ।

ऋण की अवधि : 5 वर्ष तक, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष का स्थगन शामिल है।

परियोजना की लागत:

क) एक वर्ष या उससे अधिक समय से संचालित सहकारी समितियों के मामले में परियोजना लागत 3.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ख) तीन महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम समय से संचालित सहकारी समिति के मामले में परियोजना लागत की 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
ग) परियोजना की प्रकृति और गतिविधि के आधार पर, परियोजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है, हालांकि, कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं होगी।

ब्याज की दर:

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. परियोजना गतिविधियों के लिए अपनी सामान्य ब्याज दर से 2% कम ब्याज दर पर आवधिक ऋण प्रदान करता है । ब्याज प्रोत्साहन केवल समय पर पुनर्भुगतान की स्थिति में ही मान्य होगा ।

वित्तपोषण पद्धति :

परियोजनाओं हेतु निम्नवत ऋण: इक्विटी अनुपात अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

श्रेणी – क :
80% : 20% - उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समिति,नीति आयोग द्वारा चिह्नित महत्वकांक्षी जिलों में पंजीकृत और संचालित सहकारी समितियां व सहकारी समितियां जिसमे 100% महिला / अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ विकलांग सदस्य हैं |

श्रेणी – ख :
70% : 30% - सभी प्रकार की गतिविधियों हेतु किसी भी प्रकार की सहकारी समिति जो श्रेणी -क के अंतर्गत नहीं आती हैं ।
विवरण के लिए कृपया https://www.ncdc.in/documents/other/3908071119Yuva.pdf देखें ।

ख : नंदिनी सहकार

उद्देश्य: इसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है । यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज छूट के महत्वपूर्ण इनपुट को एकत्रित कर महिलाओं की उद्यम गतिशीलता का समर्थन करता है । यह योजना शहरी आवास को छोड़कर, रा.स.वि.नि. को प्रदत्त किसी भी व्यावसायिक योजना-आधारित गतिविधि/सेवा में सहायता करेगी।

NANDINI SAHAKAR

पात्रता:

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र होगी। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति भी पात्र है। नवीन एवं/अथवा नवाचारी विचारों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियां जो न्यूनतम तीन महीने से संचालन में हैं, वे भी रा.स.वि.नि. की योजना के अंतर्गत सहायता की पात्र हैं । परियोजना लागत की सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं < 3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण की अवधि:

ऋण की अवधि 5-8 वर्षों के लिए होगी, मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1-2 वर्षों का स्थगन भी सम्मिलित है । यह परियोजना के प्रकार और इसके राजस्व तंत्र पर निर्भर करेगा ।

ब्याज-दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया जाता है । समयानुसार पुनर्भुगतान के मामले में,

- नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर सामान्य ब्याज दर पर 2% ब्याज छूट सहायता प्रदान की जायेगी ।
- नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण पर सामान्य ब्याज दर पर 1% ब्याज छूट सहायता प्रदान की जायेगी ।

वित्तपोषण पद्धति :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	**राज्य सरकार से समिति**	**रा.स.वि.नि. से समिति**
ऋण - 90% तक	ऋण - 50% हिस्सा पूँजी - 40%	ऋण - 70% तक
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम10%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 30%
मार्जिन मनी:		
बैंक क्रेडिट प्राप्त करने हेतु ऋण -100%	ऋण अथवा शेयर पूंजी अथवा ऋण-सह-शेयर पूंजी 100%	ऋण- 100%
कार्यशील पूँजी		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

नोट 1: नवीन एवं नवाचारी परियोजना गतिविधियों के मामले में, महिला सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत 80:20 के ऋण: इक्विटी के अनुपात में सहायता प्रदान की जायेगी ।

नोट 2: भारत सरकार की समन्वित योजनाओं के मामले में, वित्तपोषण की पद्धति योजना के अनुसार होगी

जानकारी हेतु कृपया https://www.ncdc.in/documents/other/Nandini-Sahakar-Scheme-Eng-01.11.2021.pdf पर देखें ।

ग. स्वयं शक्ति सहकार योजना

उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कार्यशील पूंजी ऋण या आवधिक ऋण देने हेतु कृषि ऋण सहकारी समितियों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

क. किफायती लागत पर प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाना ।
ख. महिला एसएचजी की सामान्य / सामूहिक आर्थिक- सामाजिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुँच बनाना ।
ग. स्थायी आजीविका का संवर्धन करना ।

पात्रता:

क. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स)
ख. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबीएस)
ग. राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)
घ. एसएचजी संघीय सहकारी समितियां / सहकारी संघ

ऋण की अवधि : मूलधन के पुनर्भुगतान में अधिकतम 6 महीने के स्थगन के साथ 3 वर्ष तक की अवधि होगी । ऋण सहकारी समितियां वार्षिक सत्यापन के साथ परिक्रामी आधार पर 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। ऋण का पुनर्भुगतान अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा।

ब्याज दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज दर लागू होगी।

वित्तपोषण पद्धति: महिला स्वयं सहायता समूहों को लघु / मध्यम अवधि के ऋण देने हेतु ऋण सहकारी समितियों की आवश्यकता तथा रा.स.वि.नि. द्वारा मूल्यांकन के अनुसार (ऋण सहकारी समितियों के ऋण व्यवसाय टर्नओवर के अनुसार) ऋण प्रदान करना ।

विवरण हेतु कृपया https://ncdc.in/documents/upload/3210140923Scheme-3.pdf पर देखें ।

घ. दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना

उद्देश्य : रा.स.वि.नि. के दायरे के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों / वस्तुओं/सेवाओं हेतु दीर्घावधि ऋण / अग्रिम के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को निम्नलिखित हेतु रा.स.वि.नि. की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु :-

क. सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों के लिए वृद्धिमान एवं निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना ।
ख. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना ।
ग. गैर-कृषि क्षेत्रक गतिविधियों का समर्थन करना जिससे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का संवर्धन हो ।

पात्रता : इस योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के ऋण हेतु निम्न प्रकार की कृषि ऋण सहकारी समितियाँ पात्र होंगी:

क. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स)
ख. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)
ग. राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)
घ. प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीएस)
च. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीएस)

ऋण की अवधि : ऋण के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में बिना किसी स्थगन के 5 वर्ष तक की अवधि लागू होगी ।

ब्याज दर : रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित ब्याज दर लागू होगी।

वित्तपोषण पद्धति : सहकारी समिति की आवश्यकता के अनुसार वित्त के अन्य स्रोतों जैसे नाबार्ड, राज्य सरकार, स्वयं की निधि, जमाओं, अन्य वित्तपोषण संस्थान आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण, कुल आवश्यकता का **80%** से अधिक नहीं होना चाहिए ।

विवरण के लिए, कृपया https://ncdc.in/documents/upload/3210140923Scheme-4.pdf पर देखें ।

ङ) रा.स.वि.नि. नकद क्रेडिट ऋण

रा.स.वि.नि. नकद ऋण उत्पाद, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद ऋण सीमा के अनुसार, निम्नलिखित विशेषताओं के साथ स्वीकृत किया जाएगा:

क. **स्वीकृत राशि:** कार्यशील पूंजी ऋण को नकद ऋण सीमा के साथ निर्धारित प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। यह ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत होगा तथा मांग पर देय (repayable on demand) होगा । स्वीकृत ऋण राशि की अधिकतम सीमा प्रति उधारकर्ता ₹20.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

ख. **पुनर्भुगतान:** मूलधन के पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, हालाँकि, ब्याज मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या स्वीकृति के दौरान सहमति के अनुसार देय होगा । कोई भी राशि बिना किसी पूर्व सूचना के उसी दिन शाम 4:00 बजे से पहले चुकाई जा सकती है।

ग. **नवीनीकरण/ पुनर्वैधीकरण /पूर्व-समापन:** उधारकर्ता को स्वीकृति की वैधता समाप्त होने से 90 दिन पूर्व स्वीकृति के नवीनीकरण या ऋण समापन के संबंध में सूचित करना होगा। यदि उधारकर्ता स्वीकृति के नवीनीकरण का विकल्प चुनता है, तो स्वीकृति की संपूर्ण प्रक्रिया आवश्यक सावधानी (due diligence) के साथ पूर्ण रूप से पालन की जाएगी। रा.स.वि.नि आवश्यकता पड़ने पर, बिना कोई कारण बताए, देय संपूर्ण राशि को लागू ब्याज सहित वापस करने और ऋण का पूर्व-समापन करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। एक वर्ष के बाद नवीनीकरण के लिए, निगम 90 दिनों के भीतर स्थिति की जानकारी देगा।

घ. **ब्याज दर:** उत्पाद के प्रस्ताव के लिए ब्याज दर रा.स.वि.नि. की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रति मामले में अलग आधार से तय की जाएगी और स्वीकृति के समय/संवितरण से पहले बताई जाएगी और यह स्वीकृति की पूरी अवधि (एक वर्ष) के लिए होगी, जो आवधिक समीक्षा के अधीन होगी। ब्याज की गणना दैनिक समापन शेष के आधार पर की जाएगी और मासिक रूप से संयोजित की जाएगी।

ङ. **प्रसंस्करण शुल्क :** ऋण स्वीकृति के लिए रा.स.वि.नि. कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं लेगा, हालाँकि, प्रतिभूति दस्तावेज़ों के लिए कानूनी शुल्क, यदि कोई हो, तो उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक होगा।

च. **निकासी की सीमा:** निर्धारित स्वीकृत सीमा के भीतर एक दिन में निकासी की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

छ. **संवितरण अनुरोध :** स्वीकृत सीमा के भीतर कोई भी राशि उसी कार्यदिवस में दोपहर 2:00 बजे से पहले सूचित करके प्राप्त की जा सकती है।

ज. **आहरण शक्ति का आकलन :** निगम के संबंधित प्रोग्राम प्रभाग द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक सभी जानकारी तथा दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने होंगे।

2. रा.स.वि.नि. ऋण पात्र ऋण सहकारी समितियों को या तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से अथवा सीधे उन सहकारी समितियों को प्रदान किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं —

(क) सहकारी समिति कम से कम *3 वर्षों* से कार्यरत होनी चाहिए; तथा

(ख) सहकारी समिति का *सकारात्मक निवल मूल्य* होना चाहिए, जो 100% शेयर पूंजी से कम न हो, अर्थात चुकता शेयर पूंजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

3. सहकारी समितियों को सीधे स्वीकृत ऋणों के मामले में, ऋण निम्न में से किसी एक अथवा दो या दो से अधिक के संयोजन के माध्यम से, रा .नि.वि.स.की संतुष्टि के अनुसार, प्रतिभूत किया जाएगा:

क. राज्य/केंद्र सरकार की गारंटी;

ख. अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की गारंटी;

ग. उधारकर्ता सहकारी समिति की स्थायी परिसंपत्तियों के बंधक, जिसकी मूल्य राशि ऋण राशि के 1.50 गुना से कम न हो;

घ. स्थायी जमा रसीदों को गिरवी रखना, जिनका मूल मूल्य ऋण राशि के 1.10 गुना से कम न हो; तथा

ङ. सरकारी बॉण्ड/प्रतिभूतियों का बंधक एवं समनुदेशन, जिनकी कुल राशि रा .नि.वि.स.ऋण के 1.2 गुना के बराबर हो।

रा.स.वि.नि. सहायता के अन्य नियम एवं शर्तें

1. सामान्य मानदंड

i) प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में ऋण-इक्विटी अनुपात को परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है । सदस्यों के योगदान को कम किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार सदस्यों के हिस्से का भुगतान करे ।

ii) भारत सरकार / अन्य संस्थानों की विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, उनकी सहायता पद्धति लागू होगी ।

iii) रा.स.वि.नि. की योजनाओं को भारत सरकार / सरकारी विभाग/किसी अन्य स्रोतों की योजनाओं के साथ समन्वित किया जा सकता है । सहायता पद्धति केवल एक केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध होने की शर्त के साथ तदनुसार समायोजित की जाएगी। हालाँकि, यदि वांछनीय समझा जाए तो राज्य सरकारें अपने स्रोतों से सब्सिडी का योगदान कर सकती हैं ।

iv) सहकारी समितियों को सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे वित्तपोषण दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन प्रदान की जाती है।

v) सहायता पद्धति प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा को इंगित करती है।

vi) कार्यक्रम / परियोजना को सांविधिक/ अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे प्रदूषण, पर्यावरण, स्वच्छता आदि को पूरा करना चाहिए ।

vii) सहकारी समितियों में आमतौर पर एक लोकतांत्रिक रुप से निर्वाचित बोर्ड होगा, जो व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होगा तथा फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज के लिए उचित व्यवस्था होगी ।

2. प्रत्यक्ष वित्तपोषण हेतु मानदंड

रा.स.वि.नि. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए मौजूदा सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकता है:

i) सहायता की इच्छुक समिति का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए तथा उसकी हिस्सा पूंजी में कमी नहीं होनी चाहिए;

ii) सभी दीर्घावधिक ऋणों पर विचार करते हुए ऋण इक्विटी अनुपात सामान्यतः विनिर्माण / प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 65:35 से 70:30 के बीच होना चाहिए;

iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर खाते का लेखापरीक्षण पिछले वर्ष तक पूर्ण हो जाना चाहिए । ऐसे मामले में जहां लेखापरीक्षण सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है और पूरा नहीं होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किए गए खाते प्रस्तुत किए जाएंगे। नवगठित समिति के मामले में 6 महीने की अवधि की गणना उस नियत तिथि से की जाएगी जिस अधिनियम के अंतर्गत समिति पंजीकृत है;

iv) रा.स.वि.नि. सहायता की इच्छुक सहकारी समिति, या कोई अन्य सहकारी समिति के निदेशक, जिसमें उक्त सहकारी समिति के निदेशक रहे हैं, को रा.स.वि.नि. / बैंकों / वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में कोई बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए ।

पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से सहकारी समिति रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं हो जाती है । रा.स.वि.नि. नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न मापदंडों के संबंध में परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करेगी :

i. परियोजना की तकनीकी व्यावहारिकता तथा वित्तीय व्यवहार्यता;
ii. सहकारी समिति की वित्तीय सुदृढ़ता;
iii. सहकारी समिति का पिछला वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन (जहां भी लागू हो);
iv. सहकारी समिति के प्रबंधन / कर्मचारियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता;
v. समान परियोजनाओं को संभालने में सहकारी समिति के प्रबंधन का अनुभव;
vi. सहकारी समिति का आंशिक ऋण पुनर्भुगतान का प्रदर्शन (जहां भी लागू हो);
vii. परियोजना लागत में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए सहकारी समिति की क्षमता;
viii. रा.स.वि.नि. से मांगे गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता

केवल ऐसी परियोजनाएं, जो रा.स.वि.नि. की राय में इन मापदंडों के आधार पर व्यवहार्य हैं, रा.स.वि.नि. से प्रत्यक्ष वित्त पोषण सहायता हेतु पात्र होंगी । इसके अतिरिक्त, जिन सहकारी समितियों के पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनके मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा तथा सहकारी समिति के संवर्धकों की पृष्ठभूमि एवं क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा ।

3. प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन में ऋण के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकती है :

i) ऋणों से संबंधित प्रतिभूति के रूप में रा.स.वि.नि. को गिरवी रखी जाने वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में पर्याप्त प्रतिभूति मार्जिन होना चाहिए, सामान्यतः 1.25 से 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए । (प्रतिभूति में कमी को अनुसूचित बैंक की गारंटी या रा.स.वि.नि. के पक्ष में समर्थित अनुसूचित बैंक की एफडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है) । एफडीआर की प्रतिभूति के मामले में मार्जिन 1.1 गुना से कम नहीं होना चाहिए ;

ii) सहकारी समितियों / संघों को कार्यशील पूंजी ऋण न्यूनतम 20% मार्जिन रखते हुए, स्टॉक / देनदार/ अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है । यदि आवश्यक समझा जाए, तो रा.स.वि.नि. अचल परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे शुल्क की अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकता है । सरकारी खरीद या मूल्य समर्थन कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के मामले में किसी न्यूनतम मार्जिन पर बल दिया जाना अनिवार्य नहीं है |

iii) राज्य / केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

iv) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों / सांविधिक निकायों / केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर संघों द्वारा गारंटी;

v) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) / उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) / भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) / संगठन /प्रतिष्ठित संघों की गारंटी ।

vi) अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

vii) स्थायी जमा रसीदों (एफडीआर) तथा / या अनुसूचित बैंकों की गारंटी के रूप में निदेशक मंडल / सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी ।

viii) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.1 गुना की सीमा तक सरकारी बांड / प्रतिभूतियों को गिरवी रखना तथा समनुदेशन ।

4. **निधियों का संवितरण**

i) रा.स.वि.नि. 25% अर्थोपाय (वेज एंड मीन्स) अग्रिम के संवितरण पर तभी विचार करेगा जब समिति सदस्यों / राज्य सरकार हिस्सा पूंजी एवं आंतरिक संचय के माध्यम से परियोजना के इक्विटी हिस्से का 50% एकत्रित कर लेगी तथा 40% उपयोग कर लेगी ।

ii) वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, सामान्यत: बाद की विमुक्ति पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एक महीने के लिए व्यय तथा किए गए प्रतिबद्ध खर्चों के आधार पर विचार किया जाएगा । रा.स.वि.नि. सहायता वाली 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए ऐसा प्रमाणीकरण रा.स.वि.नि.द्वारा अनुमोदित पैनल के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है ।

iii) **प्रसंस्करण शुल्क:** प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, रा.स.वि.नि. स्वीकृति हेतु प्रसंस्करण शुल्क स्वीकृत राशि का 0.5% लिया जाएगा, जो कि जीएसटी को छोड़कर, प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रुपये (6.00 करोड़ रुपये का 0.5%) से अधिक नहीं होगा । हालाँकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा । यदि उधारकर्ता राज्य सरकार है तो भी प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

अन्य नियम, शर्तें तथा मानदंड रा.स.वि.नि. की वेबसाइट www.ncdc.in पर उपलब्ध हैं।

भाग ख: रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य मंत्रालयों / विभागों की योजनाएं

1. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान –** सहकारिता मंत्रालय ।

2. **कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)** भंडारण तथा भंडारण अवसंरचना के अतिरिक्त अन्य हेतु केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

3. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

4. **कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज रियायत तथा ऋण गारंटी -** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

5. **राष्ट्रीय कृषिक विस्तारण तथा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)** के बीज एवं पादप सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के अंतर्गत बीज उत्पादन घटक को बढ़ावा देने हेतु सहायता ।

6. **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)** - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ।

   (i) **मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन**

   (ii) **पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) - मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत उप योजना ।**

7. **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

8. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्धन हेतु योजना** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

9. (i) **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन योजना -** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

   (ii) **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना** - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।

   (iii) **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) -** कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी) के लिए अवसंरचना सृजन हेतु योजना - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

10. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)** - जनजातीय कार्य मंत्रालय ।

11. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)** - पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ।

12. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)** - पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ।

13. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)** - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।

14. **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) -** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ।

15. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) -** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) ।

16. **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)** - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू)।

ख 1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान – सहकारिता मंत्रालय

भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता" केंद्रीय क्षेत्रक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। इस योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. को कुल 2000 करोड़ रुपये (प्रत्येक वर्ष ₹500 करोड़ रुपये की — 2025-26 से 2028-29 तक) अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी ।

2000 करोड़ रुपये की इस अनुदान सहयता के आधार पर, रा.स.वि.नि. चार वर्षों में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाएगा। यह निधि रा.स.वि.नि. द्वारा सहकारी क्षेत्रों को दी जाने वाली दीर्घकालिक एवं कार्यशील पूंजी ऋण सुविधाओं के लिए उपयोग की जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से कृषि प्रसंस्करण, भंडारण एवं शीत श्रृंखला, चीनी उद्योग, डेयरी, कुक्कुटपालन एवं पशुपालन, मत्स्य सहकारी, वस्त्र, श्रमिक सहकारी, महिला सहकारी, सेवा सहकारिता आदि शामिल हैं ।

ख 2. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उप-योजना - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

योजना के बारे में :

निम्नलिखित वित्तीय सहायता हेतु योजना :-

- भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ नवीकरण करना ।
- भंडारण के अतिरिक्त अन्य अवसंरचना परियोजनाएं (प्राथमिक प्रसंस्करण अर्थात छंटाई, ग्रेडिंग, प्रशीतन, फ्रीजिंग, आदि) ।
- 1000 मीट्रिक टन तक की स्टैंड अलोन शीत भण्डारण इकाइयों की अनुमति है ।

सब्सिडी के उद्देश्य से परियोजना की पूंजीगत लागत की गणना, वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकन किये जाने के पश्चात परियोजना लागत या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पात्र अवयवों की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर की जाएगी ।

वित्तपोषण पद्धति:

एएमआई- के अंतर्गत सब्सिडी पद्धति - भण्डारण अवसंरचना

श्रेणी		सब्सिडी दर (पूँजी लागत पर)	सब्सिडी सीमा		
			50 – 1000 मी.टन (रुपये/ मी.टन में)	1000 मी.टन से अधिक (मी.टन में)	अधिकतम सीमा (लाख रुपये में)
क)	एनसीडीसी के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, पहाड़ी क्षेत्रों और सहकारी समितियों की परियोजनाओं में राज्य एजेंसियाँ को दिशा दिखाना ।	33.33%	2,666.40	2,666.40	266.64
ख)	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, पहाड़ी क्षेत्रों और पैक्स में लाभार्थियों की अन्य सभी श्रेणियों हेतु ।	33.33%	2,666.40	2,666.40	133.32
	अन्य क्षेत्रों में				
1	एनसीडीसी के माध्यम से राज्य एजेंसियाँ और सहकारी समितियाँ चैनलाइज़्ड करना ।	25%	1,750/-	1,500/-	150.00
2	पंजीकृत एफपीओ, पंचायतों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों या उनकी सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों और पैक्स हेतु।	33.33%	2,333/-	2000/-	100.00
3	अन्य सभी श्रेणियों के लाभार्थियों हेतु ।	25%	1,750/-	1,500/-	75.00

* श्रेणी के आधार पर अधिकतम क्षमता 5000 मीट्रिक टन या 10,000 मीट्रिक टन तक ।

भण्डारण अवसंरचना के अतिरिक्त

श्रेणी	सब्सिडी दर (पूंजी लागत पर)	अधिकतम सब्सिडी सीमा (लाख रुपये में)
क) पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र, पर्वतीय* तथा जनजातीय क्षेत्र	33.33%	30.00
ख) **अन्य क्षेत्रों में :** 1. पंजीकृत एफपीओ, महिला, अनु.जा./अनु.ज.जा.के लाभार्थी तथा उनकी सहकारिताएं**	33.33%	30.00
2. लाभार्थियों की अन्य सभी श्रेणियों हेतु	25%	25.00

*पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ।

** अनु.जा./अनु.ज.जा. की सहकारिताएं राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की जाएंगी ।

अन्य मानदंड :-

i. *ब्लॉक लागत का न्यूनतम 10% लाभार्थी समिति/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें टी. एफ. ओ. के 50% के न्यूनतम आवधिक ऋण (सब्सिडी सहित) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।*

ii. *साइलो हेतु सब्सिडी की गणना के लिए लागत मानदंड अन्य भंडारण अवसंरचना के समान होंगे।*

iii. ***नवीनीकरण के लिए सहायता** की अनुमति दी जाएगी तथा यह रा.स.वि.नि. के माध्यम से संचालित सहकारी समितियों के भंडारण अवसंरचना की परियोजना तक ही सीमित होगी, जो कि बैंक / रा.स.वि.नि. द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 750/- प्रति मीट्रिक टन भंडारण क्षमता, जो भी कम हो ।*

iv. *दाल विखंडन एवं तेल क्रशिंग की परियोजनाओं हेतु प्रतिबंध / पाबंदी हटा दी गई है तथा 25% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी 25.00 लाख रुपये तथा 33.33% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी 30.00 लाख रुपये ही है ।*

v. *भंडारण अवसंरचना के संबंध में अतिरिक्त सब्सिडी पैक्स को सहायक सुविधाओं जैसे कि बाउंड्री / सीमा घेरा, आंतरिक सड़क, आंतरिक जल निकासी व्यवस्था, तौल, ग्रेडिंग, पैकिंग, गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणन, अग्निशमन उपकरण आदि के लिए प्रदान की जा सकती है । जो परियोजना के संचालन के लिए कार्यात्मक रूप से आवश्यक हैं । सहायक सुविधाओं के लिए सब्सिडी गोदाम अवयव की कुल स्वीकार्य सब्सिडी के अधिकतम एक तिहाई या वास्तविक, जो भी कम हो, तक सीमित की जा सकती है ।*

ख 3. बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच)/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) - एकीकृत फसलोत्तर प्रबंधन - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

इस योजना के अंतर्गत, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड रूम, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, राइपनिंग चैंबर एवं रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन की स्थापना हेतु परियोजनाओं के सफल समापन के बाद सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% की दर पर तथा पर्वतीय पूर्वोत्तर एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत का 50% की दर से बैंक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है ।

एनएचएम/एचएमएनईएच उप-योजनाओं के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के शीत भंडारों (दीर्घकालिक भंडारण एवं वितरण केंद्र) को बढ़ावा दिया जाएगा तथा एनएचबी उप-योजना के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता से 20000 मीट्रिक टन तक को बढ़ावा दिया जाएगा।

लागत मानदंड:

एनएचएम तथा एचएमएनईएच – उप योजनाओं के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत लागत मानदंडों, घटकों और सहायता पद्धति के लिए संशोधित एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 के **'अनुलग्नक V'** और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के लिए **'अनुलग्नक VI'** का संदर्भ लिया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.midh.gov.in , www.nhb.gov.in** . पर देखें ।

ख 4. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत, वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज में रियायत एवं ऋण गारंटी - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

देश में कृषि अवसंरचना को बेहतर बनाने हेतु लाभार्थी सहकारी समितियों को फसलोत्तर प्रबंधन, अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम/दीर्घावधिक ऋण वित्तपोषण सुविधा का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करना।

एनएचएम/एचएमएनईएच उप-योजनाओं के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के शीत भंडारों (दीर्घकालिक भंडारण एवं वितरण केंद्र) को बढ़ावा दिया जाएगा तथा एनएचबी उप-योजना के अंतर्गत 5000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता से 20000 मीट्रिक टन तक को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्य विशेषताएँ:

- **7** वर्षों की अवधि के लिए **2** करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण पर प्रति वर्ष **3%** (प्रचलित ब्याज दर पर) की **ब्याज सबवेंशन / अनुदान** ।
- 2 करोड़ रुपये से अधिक ऋण के मामले में, ब्याज सबवेंशन / अनुदान केवल 2 करोड़ रुपये तक ही सीमित होगी।
- 2 करोड़ तक के ऋण हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के तहत **क्रेडिट गारंटी** कवरेज।

अधिक जानकारी हेतु कृपया **https://agriinfra.dac.gov.in** पर देखें

ख 5. राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के बीज एवं पादप सामग्री (एसएमएसपी) के उपमिशन के तहत बीज उत्पादन अवयव की वृद्धि हेतु सहायता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में :

इस योजना के अंतर्गत, उक्त सहायता बीज की सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, बीज शोधन, पैकेजिंग एवं भंडारण इकाइयों के साथ-साथ शोध एवं विकास सहित बीज परीक्षण सुविधाओं से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण तक सीमित होगी । राष्ट्रीय बीज निगम इस अवयव के कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल एजेंसी होगी ।

वित्त-पोषण पद्धति

बैक-एंडेड सब्सिडी अर्थात परियोजना के सफल समापन के बाद सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 40% तथा पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% उपलब्ध होगी, जो प्रति परियोजना 150 लाख रूपये की अधिकतम सीमा के अधीन होगी ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://diragrijmu.nic.in/cssguidelines/smsp.pdf** पर देखें ।

ख 6 . प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) – मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय:

योजना के बारे में : यह योजना मछली उत्पादन एवं उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, ट्रेसबिलिटी , एक सुदृढ़ मत्स्य पालन की रुपरेखा प्रबंधन की स्थापना तथा मछुआरों के कल्याण में आने वाले गंभीर अभावों को दूर करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

पीएमएमएसवाई दो अलग-अलग अवयवों के साथ एक अम्ब्रेला योजना है **(क)** केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस) एवं **(ख)** केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। सीएसएस अवयव को निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख एवं लाभार्थी उन्मुख उप-अवयवों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:

(i) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि
(ii) अवसंरचनात्मक एवं फसलोत्तर प्रबंधन
(iii) मात्स्यिकी प्रबंधन एवं नियामक ढांचा

वित्त-पोषण पद्धति :

केंद्र क्षेत्रक योजना (सीएस) अवयव	• संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (अर्थात 100% केंद्रीय वित्त पोषण) • एनएफडीबी सहित सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा किए गए लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के मामले में, केंद्रीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए इकाई/परियोजना लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु 60% तक सीमित होगी ।
केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अवयव	**गैर लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियां:** • संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार केंद्र एवं राज्य के बीच साझा की जाएगी: • केंद्र एवं सामान्य राज्यों के बीच 60:40 • उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 • संघ राज्य क्षेत्रों एवं केंद्र सरकार की संस्थाओं हेतु 100% लाभार्थी-उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/सामूहिक गतिविधियां: • केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना/इकाई लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु परियोजना/इकाई लागत के 60% तक सीमित होगी। • इस सरकारी सहायता को केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जाएगा: पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य हिस्सा संघ राज्य क्षेत्र : 100% केंद्रीय हिस्सा अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा एवं 40% राज्य हिस्सेदारी

ख 6 (i) मत्स्य-पालन किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन:

पीएमएमएसवाई योजना के तहत, मत्स्य-पालन विभाग, मत्स्य-पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 1070 एफएफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु रा.स.वि.नि. को स्वीकृति प्रदान की है (सहकारी समिति अधिनियम के तहत 70 का गठन एवं पंजीकरण किया जाएगा तथा 1000 मौजूदा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) को एफएफपीओ के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा) |

ख 6(ii). प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) - मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा पीएमएमएसवाई के अंतर्गत उप-योजना ।

पीएम-एमकेएसएसवाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्रक उप-योजना है । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 8 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ इस योजना को स्वीकृति दी है । पीएम-एमकेएसएसवाई का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन को सहायता देने हेतु संस्थागत सुधार लाने के लिए चिन्हित किए गए वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से इस क्षेत्र की अंतर्निहित कमजोरियों को दूर करना है ।

रा.स.वि.नि., 5500 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के रूप में कार्य करने हेतु सुदृढ़ बनाने की उप-योजना के अंतर्गत मध्यस्थ एजेंसियों (आईए) में से एक है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्रिय संगठन बनाया जा सके । भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने रा.स.वि.नि. को 2348 पीएफसीएस का लक्ष्य आवंटित किया है, जो 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर हैं।

<u>प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति के लिए पात्रता मानदंड</u>

सहकारी समिति में मत्स्य कृषक, मछुआरे, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता, उद्यमी या मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्ति शामिल होंगे । मत्स्य सहकारी समिति के लिए पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से है -:

- मैदानी/पहाड़ी/हिमालयी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 35 सदस्य होने चाहिए ।
- पिछले तीन (3) वर्षों से पंजीकृत और कार्यरत होनी चाहिए ।
- एक निर्वाचित और सक्रिय बोर्ड होना चाहिए ।
- प्रधानमंत्री मत्स्य योजना या अन्य सरकारी योजना के अंतर्गत जोकि पहले से ही समर्थित मत्स्य सहकारी समितियाँ या जहाँ सीबीबीओ द्वारा पहले ही व्यावसायिक योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं, पात्र नहीं होंगी ।

विवरण के लिए कृपया https://pmmsy.dof.gov.in/ पर देखें।

पीएम-एमकेएसएसवाई के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान

क्र .सं.	कार्यकलाप	इकाई लागत (रुपये में)
1	चिन्हित मत्स्य सहकारी समिति का अंतराल विश्लेषण तथा 2.5% की मॉनिटरिंग एवं संस्थागत प्रभार सहित एक उपयुक्त व्यावसायिक योजना तैयार करना।	1,00,000
2	आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता जैसे कार्यालय की आवश्यकताएं, कार्यालय फर्नीचर तथा उपकरण आदि ।	90,000
3	चयनित सहकारी समिति का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।	10,000
कुल		**2,00,000**

- प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को निधि प्रदान की जाएगी, बशर्ते उन्होंने अंतराल विश्लेषण और व्यवसाय योजना प्रस्तुत की हो।
- मध्यवर्ती एजेंसी (IA) को तिमाही आधार पर मत्स्य पालन विभाग को बिल प्रस्तुत करना होगा, और निधि संवितरित की जाएगी जैसा कि वित्तीय स्वीकृति में उल्लिखित है।
- सीबीबीओ को निधि केवल तभी जारी की जाएंगी जब भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग से निधि प्राप्त होंगी । योजना के अंतर्गत **अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं** है ।

ख 7. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय:

योजना के बारे में :

- वर्त्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि;
- ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को सुदृढ़ करके व्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला सहित एकीकरण;
- वर्त्तमान 2,00,000 उद्यमों को औपचारिक रुपरेखा के रूपांतरण हेतु समर्थन;
- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन एवं ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि;
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण;तथा
- उद्यमों के लिए पेशेवर एवं तकनीकी सहायता तक पहुंच में वृद्धि ।

वित्त-पोषण पद्धति:

यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सम्मिलित सहकारी समितियों को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण से जुड़े अनुदान के माध्यम से उनकी मौजूदा प्रसंस्करण गतिविधियों के उन्नयन हेतु पूंजी निवेश के लिए ओडीओपी एवं गैर ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु नई इकाइयों को समर्थन प्रदान करता है ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया:

यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाएगी एवं यह उत्पादक सहकारी समितियों को कृषि मूल्य श्रृंखला में अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती के संबंध(फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) विकसित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in. पर देखें।

ख 8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन तथा संवर्धन हेतु योजना – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

योजना के बारे में :

इस योजना का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में लघु और सीमांत किसानों के सामूहिकीकरण के माध्यम से समग्र और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा कृषि क्षेत्र के समावेशी और टिकाऊ परिवर्तन को प्राप्त करना है।

एफपीओ के संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका:

योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, रा.स.वि.नि., अपने अधिदेश के अनुसार, एफ.पी.ओ. की आवंटित संख्या का गठन तथा संवर्धन कर रही है, जिसे राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। पहले के राज्य सहकारी अधिनियमों के अलावा, इनमें पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं ।

10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की सीएसएस के तहत, आवंटन वर्ष 2020-21 और 2022-23 के दौरान रा.स.वि.नि. को 746 एफपीओ के गठन और संवर्धन का लक्ष्य आवंटित किया गया था। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की क्रांतिकारी पहल के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में 1100 नए एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्रक योजना - "10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन" के तहत आवंटन वर्ष 2023-24 के लिए पैक्स को मजबूत करने के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में एफपीओ के गठन और संवर्धन की दिशा में रा.स.वि.नि. को इन 1100 अतिरिक्त एफपीओ का लक्ष्य आवंटित किया गया है। प्रत्येक 1100 ब्लाक में, सहकारी क्षेत्र में पैक्स के सदस्यों के साथ एफ.पी.ओ. बनाने हेतु उत्तम पैक्स को चयनित किया जाएगा। इसके बाद, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नवीनतम ज्ञापन के अनुसार, चयनित पैक्स को योजना के अंतर्गत सीधे एफपीओ के रूप में शामिल कर लिया गया है।

रा.स.वि.नि. स्कीम के अंतर्गत पैनलबद्ध क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ को बढ़ावा देता है, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है और योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. को आवंटित एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है ।

क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)

(i) एफपीओ बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) की पहचान करती है;

(ii) किसी दिए गए राज्य में, भूगोल उत्पाद समूहों, फसल पद्धति आदि के आधार पर एक या एक से अधिक सीबीबीओ हो सकते हैं तथा एक सीबीबीओ एक से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है ।

(iii) सीबीबीओ के पास कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में एफपीओ की व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं अपेक्षित अनुभव की जानकारी होती है तथा (क) फसल पालन; (ख) कृषि विपणन / मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण; (ग) सामाजिक संघटन; (घ) विधि एवं लेखा; और (च) कृषि एवं कृषि विपणन में आईटी/एमआईएस क्षेत्रों में विशेषज्ञों का एक पैनल होता है |

विभिन्न हितधारकों हेतु उपलब्ध लाभ

क) क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) का संवर्धन

सीबीबीओ के गठन एवं ऊष्मायन लागत, अधिकतम 25 लाख रुपये/ एफपीओ समर्थन या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है, गठन के वर्ष से पांच वर्षों के लिए प्रदान की जाती है । इसमें आधारभूत सर्वेक्षण, किसानों को जुटाने, जागरूकता आयोजित, कार्यक्रमों एवं प्रदर्शन यात्राओं का आयोजन, पेशेवर हैंड होल्डिंग इन्क्यूबेशन तथा अन्य उप-परिव्यय में लगने वाले लागत सम्मिलित है ।

सीबीबीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूर्व में संवितरित राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद विमुक्त की जाती है |

ख) एफपीओ प्रबंधन लागत

योजना के अंतर्गत, एफपीओ को गठन के वर्ष से तीन वर्षों के लिए अधिकतम 18.00 लाख/एफपीओ या वास्तविक, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चौथे वर्ष से, एफपीओ को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन स्वयं करना होता है |

निर्देशात्मक वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:-

- सीईओ/प्रबंधक का वेतन अधिकतम 25000 रुपये प्रति माह
- लेखाकार का वेतन अधिकतम 10000 रुपये प्रति माह
- एकमुश्त पंजीकरण लागत अधिकतम 40000 रुपये तक
- यात्रा एवं बैठक की लागत अधिकतम 18000 रुपयेप्रति वर्ष
- कार्यालय किराया अधिकतम 48000 रुपये प्रति वर्ष
- उपयोगिता शुल्क (मोबाइल और बिजली) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष
- फर्नीचर एवं फिक्स्चर हेतु एकमुश्त लागत अधिकतम 100000 रुपये
- विविध (सफाई/स्टेशनरी) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष

इसके अलावा संचालन, प्रबंधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं अवसंरचनात्मक विकास आदि के किसी भी खर्च को एफपीओ द्वारा अपने स्रोतों से पूरा किया जाता है ।

ग) एफपीओ को इक्विटी अनुदान

(i) इक्विटी अनुदान एफपीओ के प्रति किसान सदस्य के लिए 2000 रुपये तक के मिलान अनुदान के रूप में होगा, जो अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के अधीन प्रदान किया जाता है ।

(ii) एफपीओ अधिकतम 3 चरणों में (पहले आवेदन के 4 वर्ष की अवधि के साथ) इक्विटी अनुदान प्राप्त कर सकता है, यह सीमा के अधीन एवं अतिरिक्त विपणन अनुदान हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सदस्य इक्विटी जुटाने में सक्षम है ।

घ) ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं हेतु ऋण गारंटी सुविधा

पात्र ऋणदात्री संस्थाओं (ईएलआई) को एक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करना, जिससे वे एफपीओ को अपने ऋण जोखिम को कम करते हुए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकें ।

प्रति एफपीओ 2.00 करोड़ रुपये तक परियोजना ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर:

क. 1 करोड़ रुपये तक का ऋण - 85 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 85% गारंटी कवर (अधिकतम गारंटी शुल्क 0.75% ऋण सुविधा)

ख. 1-2 करोड़ रुपये के लिए, 150 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 75% गारंटी कवर (क्रेडिट सुविधा का अधिकतम शुल्क 0.85%)

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://agricoop.nic.in/en. पर देखें।

ख 9. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

i. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन योजना

योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेतों (फार्म गेट) से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा । प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मूल्य संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(i) सृजन/ खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार/ संरक्षण क्षमताएँ (इकाई योजना)

(ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

(iii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

वित्तपोषण पद्धति :

योजना के अनुसार परियोजना के क्षेत्र एवं अवयवों के आधार पर पात्र परियोजना लागत का 35% से 70% तक सहायता अनुदान की परिकल्पना की गई है ।

ii. एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना -

योजना के बारे में :

इस योजना का उद्देश्य गैर-बागवानी उत्पादों, बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, कुक्कुट- पालन एवं समुद्रीय/मछली (झींगा को छोड़कर) के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने की दिशा में खेतों (फार्म गेट) से उपभोक्ता तक बिना किसी अवरोध के एकीकृत शीत श्रृंखला, संरक्षण तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है । इससे उत्पादकों को एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला एवं शीत श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रोसेसर एवं बाजार से जोड़ा जा सकेगा, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य एवं उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की उपलब्धता वर्ष-भर सुनिश्चित हो सकेगी ।

वित्त-पोषण पद्धति:

सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 35% तथा विषम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ अ.नु.जा/ अ.नु.ज.जा, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 50% होगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपये के अधीन है। मंत्रालय या बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एम आई डी एच) द्वारा जारी लागत मानदंड का अनुपालन किया जाएगा, जहाँ भी उपलब्ध हो |

अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.mofpi.nic.in**. पर देखें |

iii. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी) के लिए अवसंरचना सृजन हेतु योजना

योजना के बारे में:

यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक उप-योजना है । रा.स.वि.नि. इस योजना के अंतर्गत ऋण देने वाली संस्थाओं में से एक है । यह शीत भंडारों, गोदामों और प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामान्य अवसंरचना सृजन करके, उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रदान करती है । इसका लक्ष्य फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान को कम करना, कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करना, किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय रोज़गार सृजन करना है ।

योजनाओं के उद्देश्य - :

- उत्पादन क्षेत्रों के निकट खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचना सृजन तैयार करना ।
- खेत से लेकर उपभोक्ता तक एकीकृत एवं पूर्ण संरक्षण अवसंरचना सृजन सुविधाएँ प्रदान करना ।
- सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों / किसानों के समूहों को खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और बाज़ारों से जोड़कर प्रभावी पश्चगामी और अग्रगामी संपर्क बनाना ।

वित्तपोषण पद्धति :

सामान्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 35% और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं, साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ तथा स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए पात्र सहायता अनुदान परियोजना लागत का 50% होगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अधीन होगी । जहाँ भी उपलब्ध हो, मंत्रालय द्वारा जारी लागत मानदंडों का पालन किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.mofpi.nic.in** देखें ।

ख 10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय

योजना के बारे में:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनु.ज.जा. सहकारिताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

विशेषताएँ:

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन अनु.ज.जा. सहकारिताओं के लिए एनएसटीएफडीसी से कम ब्याज दरों पर रियायती वित्तपोषण उपलब्ध है:

- न्यूनतम 80% या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए और आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सदस्यता में परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की चालू अवधि के दौरान अनु.ज.जा. सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

रियायती वित्तपोषण एनएसटीएफडीसी से अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://tribal.nic.in/nstfdc.aspx** पर देखें |

ख 11. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मिशन के उद्देश्य: छोटे जुगाली करने वाले पशुओं, कुक्कुटपालन तथा सुअर पालन सेक्टर और चारा सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ज़रिए रोज़गार पैदा करना और ब्रीड सुधार और प्रबंधन के ज़रिए पशुधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना।

कार्यान्वयन एजेंसी: एनएलएम मिशन को राज्य पशुपालन विभाग और पशुपालन विभाग भारत सरकार के तहत बनी राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस.आई.ए.) के ज़रिए लागू किया जाएगा।

कार्यान्वयन अवधि: एन.एल.एम. मिशन वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू है और इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनः संरेखित किया गया है और यह दिनांक 31.03.2026 तक मान्य है।

पात्र उधारकर्ता: एसएचजी/ एफ़पीओ/ एफ़ओसी (सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत)/संयुक्त देयता समूह/सेक्शन **8** कंपनियों/डेयरी सहकारिताएं/दुग्ध संघ आदि ।

एनएलएम के अंतर्गत सब्सिडी: केंद्र सरकार प्रत्येक उप-मिशन में एक निश्चित अधिकतम राशि के साथ कुल परियोजना लागत का 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी की पहली किस्त सिडबी द्वारा अनुसूचित बैंक/एनसीडीसी को पात्र उधारकर्ता के खाते में जमा करने के लिए अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। सब्सिडी की दूसरी किस्त सिडबी द्वारा परियोजना के पूरा होने और एसआईए प्रमाणन के बाद जारी की जाएगी। भारत सरकार सिडबी के माध्यम से सब्सिडी का प्रबंधन करेगी ।

वित्तपोषण पद्धति: रा.स.वि.नि. से कुल परियोजना ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण ।

पात्र गतिविधियाँ:

क्रम सं .	गतिविधियाँ	विशेषताएं	वित्तपोषण पद्धति
1	पशुधन और कुक्कुट पालन का नस्ल विकास	भारत सरकार न्यूनतम 1000 पैरेंट लेयर्स वाली मदर यूनिट के साथ पैरेंट फार्म, ग्रामीण हैचरी की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी।	कुल परियोजना लागत का 50% पूंजीगत सब्सिडी, ब्लॉक लागत के 25 लाख रुपये तक
2	छोटे आकार वाले जुगाली करने वाले पशुओं में (बकरी/भेड़) नस्ल विकास	500 मादा और 25 नर भेड़/बकरी प्रजनन इकाई। (घटाकर 100+5, 200+10, 300+15, 400+20 और 500+25 इकाई आकार)	ब्लॉक लागत का 50% पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 50 लाख रुपये तक। (इकाई आकार के अनुपात में 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये और 50 लाख रुपये तक)
3	सुअर पालन उद्यमी को बढ़ावा	भारत सरकार 100 सूअरों और 25 सूअरों के साथ प्रजनक फार्म की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगी। (घटाकर 50+5, 100+25 इकाई आकार)	ब्लॉक लागत का 50% से 30 लाख रुपये तक पूंजीगत सब्सिडी। (पात्र इकाई आकार के अनुपात में 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक)

4	चारा और आहार में उद्यमिता गतिविधियाँ	भारत सरकार घास/साइलेज/कुल मिश्रित राशन/चारा ब्लॉक की स्थापना में सहायता करेगी।	50 लाख रुपये तक 50% की पूंजी सब्सिडी।

*एनएलएम के अवयवों को एएचआईडीएफ योजना के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि आवधिक ऋण पर 3% ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सके।

एनएलएम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

परियोजना प्रस्ताव का आवेदन:

• पात्र इकाई, एसआईए द्वारा जरी ब्याज के जवाब में एनएलएम पोर्टल के ज़रिए स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को एप्लीकेशन जमा करेगी।

• पात्र इकाई द्वारा जमा की गई एप्लीकेशन की एसआईए जांच करेगी और शेड्यूल बैंक या रा.स.वि.नि. द्वारा ऋण की मंज़ूरी के लिए सिफारिश की जाएगी।

• प्रोजेक्ट की सिफारिश के बाद, इसे रा.स.वि.नि. या एसबी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु सोचा जाएगा।

• एक बार जब पात्र इकाई को परियोजना के लिए रा.स.वि.नि./एसबी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो एसआईए, एएससी/पीएस/सेक्रेटरी, राज्यपशुपालन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) के समक्ष एप्लीकेशन को पोर्टल के ज़रिए पशुपालन विभाग को केंद्र सरकार से सिफारिश करने के लिए प्रस्तुत करेगा, साथ ही ऋण अवयव के लिए मंज़ूरी अपलोड करेगा।

ख 12. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) - मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

उद्देश्य: आरजीएम योजना के नस्ल गुणन फार्म (बीएमएफ) का मुख्य उद्देश्य गोजातीय पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करना और स्थायी रूप से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना तथा प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की वंश वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य किसानों के घर पर ए आई सेवाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना भी है।

कार्यान्वयन एजेंसी : इस मिशन का कार्यान्वयन राज्य पशुधन विकास बोर्ड/राज्य दुग्ध संघ, केंद्रीय हिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र, एनएनडीबी, आईसीएआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

कार्यान्वयन अवधि : वर्ष 2021-22 से 2025-26 (दिनांक 31.03.2026)

पात्र उधारकर्ता : एफपीओ/एसएचजी/एफसीओ/व्यक्तिगत/जेएलजी/धारा 8 कंपनियां

सब्सिडी: केंद्र सरकार परियोजना ब्लॉक लागत का 50**%** सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी एनडीडीबी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

- 50% सब्सिडी की पहली किस्त डीएडीएच द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी और रा.स.वि.नि. उद्यमी के ऋण खाते में पहली किस्त जारी करेगा।
- शेष 25% सब्सिडी कार्यान्वयन एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।
- शेष 25% सब्सिडी कृत्रिम गर्भाधान (एआई) द्वारा 10**%** बछड़ों के जन्म की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

पात्र गतिविधियाँ:

क्रम. सं.	पात्र अवयव	गतिविधि	वित्तपोषण पद्धति
1	नस्ल गुणन फार्म	किसानों को उच्च आनुवंशिक गुण वाली बछियाँ उपलब्ध कराने हेतु उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बीएमएफ की स्थापना प्रस्तावित है। फार्म की दुधारू क्षमता 200 पशु होगी। (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए घटाकर 50 पशु कर दिया गया है)	परियोजना की कुल अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपये होगी। रा.स.वि.नि. से ऋण राशि 2 करोड़ रुपये तक होगी। सब्सिडी - एनडीडीबी के माध्यम से 2 करोड़ रुपये तक। (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 50 लाख रुपये तक)

*बीएमएफ गतिविधि को आवधिक ऋण पर **3%** ब्याज सहायता हेतु एएचआईडीएफ योजना के साथ जोड़ा जा सकता है।

आरजीएम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

- एनडीडीबी, आरजीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल (**eoi.nddb.coop)** के माध्यम से पात्र इकाई से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, पत्र इकाई बैंक योग्य प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे सीधे एनडीडीबी को प्रस्तुत करेगा।
- पात्र इकाई परियोजना लागत का 50**%** ऋण के रूप में प्राप्त करने के लिए रा.स.वि.नि./एसबी के साथ भी गठजोड़ करेगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी (एनडीडीबी) द्वारा गठित समिति द्वारा पात्र इकाई के प्रस्तावों की जाँच की जाएगी।
- कार्यान्वयन एजेंसी, पात्र इकाई को ऋण स्वीकृत राशि का प्रमाण बैंक/रा.स.वि.नि. से प्राप्त करेगी, और वे परियोजना को डीएएचडी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

ख 13. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय

उद्देश्य: दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने में सहायता करना तथा मवेशियों, भैंसों, भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुटपालन तथा नस्ल गुणन फार्म (मवेशी, सूअर, कुक्कुटपालन, भेड़/बकरी) के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना।

कार्यान्वयन एजेंसी- इस योजना का कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, (डीएएचडी) मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

कार्यान्वयन अवधि : मार्च 2024 से प्रभावी और दिनांक 31.03.2026 तक वैध ।

पात्र उधारकर्ता : एफपीओ/निजी कंपनियाँ/व्यक्तिगत उद्यमी/धारा 8 कंपनियाँ/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम/डेयरी सहकारी समितियाँ।

ऋण अवधि : मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्ष। ब्याज के भुगतान पर कोई स्थगन नहीं।

एएचआईडीएफ के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन और ऋण संबंधी निर्णय जैसे पुनर्भुगतान की प्रक्रिया, दंडात्मक ब्याज, सुरक्षा और वित्त की सीमा अनुसूचित बैंक/रा.स.वि.नि. द्वारा तय की जाएगी।

ब्याज सबवेंशन / अनुदान : सभी पात्र संस्थाओं के लिए लागू ब्याज दर पर 3% ब्याज सबवेंशन / अनुदान होगी। डीएएचडी सीधे अनुसूचित बैंक/रा.स.वि.नि. को ब्याज सहायता का भुगतान करेगा। प्रारंभ में, विभाग अनुसूचित बैंक/एनसीडीसी के अनुरोध के आधार पर, ऋणदाता बैंक को पहले वर्ष के लिए ब्याज सहायता राशि का अग्रिम भुगतान करेगा। दूसरे वर्ष से ब्याज सहायता अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से दावा किए गए गैर-एनपीए उधारकर्ताओं की पात्रता के आधार पर जारी की जाएगी।

वित्त पोषण पद्धति: ऋण: परियोजना लागत का 90% तक। एमएसएमई के मामले में लाभार्थी का अंशदान निम्नानुसार भिन्न होगा**:**

क्रम सं.	श्रेणी	लाभार्थी अंशदान
1.	सूक्ष्म एवं लघु इकाइयाँ (एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार)	10%
2.	मध्यम उद्यम (एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार)	15% तक
.3	उद्यमों की अन्य श्रेणियां	25% तक

पात्र गतिविधियाँ:

क्रम सं.	पात्र अवयव	पात्र गतिविधियाँ
1	डेयरी प्रसंस्करण	नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों को गुणवत्तायुक्त एवं शुद्ध दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित अन्य गतिविधियों के साथ सुदृढ़ करना।
2	मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण	निम्नलिखित दूध उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को सुदृढ़ करना: आइसक्रीम इकाई, पनीर विनिर्माण इकाइयां, टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ यूएचटी दूध प्रसंस्करण इकाइयां, फ्लेवर्ड दूध विनिर्माण इकाई, दूध पाउडर विनिर्माण इकाई, मट्ठा पाउडर विनिर्माण इकाई और कोई अन्य दूध उत्पाद और मूल्य संवर्धन विनिर्माण इकाई।
3	मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सुविधाएं*	ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में भेड़/बकरी/कुक्कुट/सुअर/भैंस के लिए नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं को मजबूत करना, बड़े पैमाने पर एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं/संयंत्र/इकाई।
4	मूल्य वर्धित उत्पाद*	सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन या किसी अन्य मांस उत्पाद जैसे मांस उत्पादों के लिए नई मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना या मौजूदा मूल्य संवर्धन सुविधाओं को मजबूत करना
5	नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म	मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म की स्थापना।
6	पशु आहार निर्माण की स्थापना और मौजूदा इकाइयों/संयंत्रों का सुदृढ़ीकरण	लघु, मध्यम एवं वृहद पशु आहार संयंत्र, कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई, बाई पास प्रोटीन इकाई, खनिज मिश्रण संयंत्र, समृद्ध साइलेज निर्माण इकाई एवं पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना।

***ऋण गारंटी निधि** - नाबार्ड द्वारा 750 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी निधि का प्रबंधन किया जाएगा। डीएएचडी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सीजीएफ के लिए 10 वर्षों में प्रति वर्ष 75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। सीजीएफ द्वारा उन परियोजनाओं को प्रदान किया जाएगा जो एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं और कवरेज ऋण सुविधा के 25% तक होगा।

एएचआईडीएफ के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

डीपीआर तैयार करना:

- पात्र इकाई, एएचआईडीएफ के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।
- प्रत्येक परियोजना में दूध, मांस और पशु आहार के लिए गुणवत्ता प्रबंधन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव शामिल होना चाहिए।
- एएचआईडीएफ के प्रावधानों के अधीन, एसबी अनुमोदित परियोजना के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

- पात्र इकाई, सिडबी द्वारा विकसित **'उद्यमी मित्र'** पोर्टल (http//ahidf.udyamimitra.in) के माध्यम से डीपीआर के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

- अनुसूचित बैंक/एनसीडीसी, परियोजना के उचित मूल्यांकन और स्वीकृति के बाद, डीएएचडी द्वारा एएचआईडीएफ के अंतर्गत ब्याज अनुदान की स्वीकृति के अधीन, ऑनलाइन माध्यम से ब्याज अनुदान की स्वीकृति के लिए डीएएचडी को आवेदन अग्रेषित करेगा।

ख 14. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)

योजना के बारे में:

एनसीडीसी, एमएसएमई मंत्रालय की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) में से एक है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों के जोखिम को कम करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। इसका संचालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी द्वारा ट्रस्ट के सदस्य ऋण संस्थानों के माध्यम से संयुक्त रूप से की गई है। इस योजना में पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा नए और मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रति उधारकर्ता इकाई 100 लाख रुपये तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (आवधिक ऋण और/या कार्यशील पूंजी) प्रदान की जाती है। यह योजना ऋण के 85 प्रतिशत तक अधिकतम गारंटी कवर प्रदान करती है।

वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ): एजीएफ पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋण सुविधाओं की शेष अवधि के लिए बकाया राशि पर लिया जाएगा, जो 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद अनुमोदित/नवीनीकृत सभी गारंटियों पर लागू होगा, जिसमें गारंटी योजना के तहत पहले से सम्मिलित किए गए मौजूदा कार्यशील पूंजी खाते में वृद्धि भी शामिल है।

स्लैब	मानक दर	छूट के बाद शुल्क दर	जोखिम प्रीमियम के साथ शुल्क दर			
		(-10%)	(15%)	(30%)	(50%)	(70%)
0-10 लाख	0.37	0.33	0.43	**0.48**	0.56	0.63
10 लाख से अधिक -50 लाख तक	0.55	0.50	0.63	**0.72**	0.83	0.94
50 लाख से अधिक -1 करोड़ तक	0.60	0.54	0.69	**0.78**	0.90	1.02
1करोड़ से अधिक -2 करोड़ तक	0.85	0.77	0.98	**1.11**	1.28	1.45
2 करोड़ से अधिक-5 करोड़ तक	1.00	0.90	1.15	**1.30**	1.50	1.70
5करोड़ से अधिक -8 करोड़ तक	1.10	0.99	1.27	**1.43**	1.65	1.87
8करोड़ से अधिक -10 करोड़ तक	1.20	1.08	1.38	**1.56**	1.80	2.04

गारंटी कवरेज की सीमा:

श्रेणी (व्यापार गतिविधि सहित)	गारंटी की अधिकतम सीमा		
	₹ 5 लाख तक	₹ 5 लाख से अधिक तथा ₹ 50 लाख तक	₹ 50 लाख से अधिक तथा ₹ 10 करोड़ तक
सूक्ष्म उद्यम	85%	75%	75%
पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उधम	80%		
महिला उद्यमी	90%		

विवरण हेतु कृपया **https://www.cgtmse.in** पर देखें

ख 15. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय योजना के बारे में:

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास हेतु वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, परागण के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और आय एवं रोजगार सृजन करना है। **राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड** द्वारा कार्यान्वित, यह मिशन तीन लघु मिशनों के इर्द-गिर्द संरचित है, जो क्रमशः उत्पादन एवं उत्पादकता, फसलोत्तर प्रबंधन और अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी सृजन पर केंद्रित हैं। यह योजना मधुमक्खी पालन उत्पादों के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, क्षमता निर्माण, उद्यमिता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देती है।

वित्तपोषण की पद्धति:

योजना के तहत स्वीकृत सब्सिडी पद्धति व्यक्तिगत लाभार्थियों/समितियों/फर्मों/कंपनियों के मामले में 50%, संस्थागत ढांचे के मामले में 75% होगी, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/किसान/मधुमक्खी पालक इच्छुक समूह (एफआईजी)/सहकारी समितियां/ एफपीओ/ एफपीसी/ एनबीबी के सदस्य मधुमक्खी पालक संघ (एमबीएफ)/एनबीबी के साथ पंजीकृत एमबीएफ आदि शामिल हैं और राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सरकारी संगठनों के लिए 100% होगा, जिसमें एनबीबी, आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू)/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) आदि शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, सभी व्यक्तियों, संस्थानों/संगठनों/सोसायटियों/सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)/किसान/मधुमक्खी पालक इच्छुक समूह (एफआईजी)/ समितियों/फर्मों/कंपनियों/एफपीओ/एफपीसी आदि के लिए 100% और सरकारी एजेंसियों/संगठनों आदि के लिए 100% रखा जाना चाहिए। हालांकि, प्रशिक्षण, संगोष्ठी, किसानों/मधुमक्खी पालकों, अधिकारियों आदि के लिए कौशल विकास सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए वित्त पोषण/सब्सिडी का पैटर्न 100% रखा जाना चाहिए।

विवरण हेतु कृपया **https://nbb.gov.in** पर देखें

ख 16. कृषि यंत्रीकरण उप -मिशन (एसएमएएम), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना के बारे में

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रोन सहित कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है । इसका उद्देश्य सभी किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके, उपकरणों तक पहुँच के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके और प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण आयोजित करते हुए मशीनीकरण को सुलभ बनाना है ।

वित्त पोषण की पद्धति :

क्रम सं.	अवयव	अनुदान
1	कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना	250 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 40%
2	ग्राम स्तरीय कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना	30.00 लाख रुपये/ परियोजना तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 80%
3	किसान ड्रोन	सीएचसी पैकेज के अंतर्गत 250 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता

अधिक जानकारी हेतु कृपया
https://farmech.dac.gov.in/Content/New_Folder/SMAM_revised_05.05.2025.pdf पर देखें ।

भाग ग: सहकारी क्षेत्र को लाभान्वित करने वाले अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएँ

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एससीएलसीएसएस) की प्रौद्योगिक सक्षमता हेतु विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी** - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) ।

2. **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)** - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।

3. **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)** - औषधि विभाग।

4. **राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम** - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

   i. बायोमास कार्यक्रम
   ii. बायोगैस कार्यक्रम
   iii. अपशिष्ट से ऊर्जा

5. **कच्चा माल आपूर्ति योजना** - राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

6. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम –** विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

7. **राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम** - विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

8. **जूट कच्चा माल बैंक योजना (जेआरएमबी)** - राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

9. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) 2.0** - पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय।

10. **डेयरी सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी एवं एफपीओ) को सहायता प्रदान करना**

ग 1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एससीएलसीएसएस) की प्रौद्योगिक सक्षमता हेतु विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब योजना (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय))

• उद्देश्य

• नए उद्यमों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए मौजूदा उद्यमों को उनके विस्तार में सहायता प्रदान करना।

• दायरा

• विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को सम्मिलित करना।

• राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड के अनुसार, सभी विनिर्माण क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) से आवधिक ऋण के माध्यम से नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की खरीद को कवर करना।

• सहमति प्रबंधन के लिए उद्योगों के वर्गीकरण (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अनुसूची- VIII, नियम 3(2) और 12) के अनुसार रेड श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योग उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

• पात्रता की शर्तें

• विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में लगे एमएसई क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समितियाँ, निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
• एससीएलसीएसएस के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वैध उद्यम पंजीकरण होना अनिवार्य है।
• विरचित और पुरानी संयंत्र और मशीनरी इस अवयव के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगी।

• आवेदन प्रक्रिया

• नोडल बैंक/एजेंसी एमएसएमई मंत्रालय को ऑनलाइन सब्सिडी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे
• नोडल बैंक एमएसएमई मंत्रालय को सब्सिडी प्रस्ताव (उनके द्वारा स्वीकृत ऋण के संबंध में) प्रस्तुत करेंगे
• नाबार्ड/सिडबी अन्य ऋणदाता संस्थानों के लिए सब्सिडी जारी करने हेतु नोडल एजेंसी होगी
• प्रत्येक तिमाही की संदर्भ तिथि (आवधिक ऋण जारी करने की अंतिम तिथि) सहित पात्र दावा अगली तिमाही के अंत तक पहुँच जाना चाहिए

• सब्सिडी संवितरण

• सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने के लिए FIFO के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।
• संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग के बाद इकाई को 3 वर्षों तक व्यावसायिक उत्पादन/सेवा में होना चाहिए।
• प्राप्त सब्सिडी को संदर्भ तिथि से बैंक द्वारा 3 वर्षों के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। अवधारण अवधि समाप्त होने के बाद, बैंक लाभार्थी के ऋण खाते में आवधिक जमा राशि का निपटान करेगा।
• आवधिक जमा को बैंक द्वारा बंधक/गिरवी नहीं रखा जा सकता है और यह ब्याज अर्जित करने के लिए पात्र नहीं है।

ग 2. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

उद्देश्य: किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र को डीज़ल मुक्त बनाना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।

अवयव: इस योजना में तीन मुख्य अवयव शामिल हैं।

- **अवयव-क:** 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट सौर क्षमता का संवर्धन
- **अवयव-ख:** सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने हेतु डीज़ल पंपों के स्थान पर 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना
- **अवयव-ग:** बिजली की विश्वसनीय दैनिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित ग्रिड से जुड़े 15 लाख मौजूदा कृषि पंपों का सौरीकरण

पात्र लाभार्थी

- अवयव क - व्यक्तिगत किसान, **सहकारी समितियाँ**, पंचायतें और **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)**
- अवयव ख और ग - व्यक्तिगत किसान और मौजूदा बुनियादी ढाँचा

i. सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र (आरईपीपी) स्थापना तंत्र

- डिस्कॉम इच्छुक लाभार्थियों से 2 मेगावाट तक के आरईपीपी स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे, जिसमें उप-स्टेशनवार अधिशेष क्षमता अधिसूचित की जाएगी, जिस तक सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन जोड़ा जा सकता है।
- आरईपीपी अधिसूचित उप-स्टेशनों के 5 किमी के दायरे में स्थापित किया जाना चाहिए।
- लाभार्थी स्वयं आरईपीपी स्थापित कर सकता है या एसपीपी की स्थापना के लिए डेवलपर (सीपीएसयू/ईपीसी ठेकेदार) को पट्टे पर भूमि प्रदान कर सकता है।
- लाभार्थी को डिस्कॉम के समन्वय से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी।
- लाभार्थी को डिस्कॉम कंपनियों के साथ 25 वर्षों के लिए बिजली क्रय समझौता या डिस्कॉम/सीपीएसयू के साथ पट्टा समझौता करना होगा। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पी पी ए निष्पादित किया जाना होगा।
- डिस्कॉम को राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित दरों पर आरईपीपी से उत्पादित बिजली खरीदनी होगी।
- लाभार्थी को ईओआई के साथ बैंक गारंटी के रूप में 1 लाख रुपये/मेगावाट की ब्याना राशि देनी होगी।

ii. वित्तीय सहायता (अवयव 'क' हेतु)

- योजना में लाभार्थी को 25 वर्षों तक प्रति एकड़ मासिक किराया देने का प्रावधान है।
- डिस्कॉम द्वारा लाभार्थी के खाते में किराए/खरीदी गई बिजली का भुगतान
- डेवलपर को भूमि पट्टे पर देने की स्थिति में - 25 वर्षों के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़
- स्वयं स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र (स्व-वित्तपोषण या ऋण के माध्यम से) की स्थिति में - 25 वर्षों के लिए 65,000 रुपये प्रति एकड़। डिस्कॉम को बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व का उपयोग ईएमआई के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राजस्व लाभार्थियों की आय होगी।
- डिस्कॉम 0.40 रुपये प्रति यूनिट खरीदी या 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्थापित क्षमता के प्रत्येक मेगावाट के लिए 6.6 लाख रुपये, जो भी कम हो, COD से पाँच वर्ष की अवधि के लिए।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ:

- बिजली खरीद और फीडर सोलराइजेशन के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOM)।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU)

ग 3. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना – औषधि विभाग, भारत सरकार

उद्देश्य

- देश के 785 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र खोलना

कार्यान्वयन एजेंसी

भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत स्वतंत्र संस्था है, इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

पीएमबीआई की भूमिका है:

- सभी के लिए किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना;
- पीएमबीजेके के माध्यम से जेनेरिक दवाओं का विपणन करना;
- केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों से दवाइयाँ प्राप्त करना; और
- पीएमबीजेके के समुचित कार्य की निगरानी करना।
- पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 2047 दवाइयाँ और 300 शल्य चिकित्सा उत्पाद शामिल हैं।

पीएमबीजेके खोलने के लिए पात्रता मानदंड

- व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा/ बी. फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या उन्हें डी. फार्मा/बी. फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- पीएमबीजेके के लिए आवेदन करने वाले उद्यमियों/ फार्मासिस्टों/ ट्रस्टों/ समितियों और धर्मार्थ संगठनों को बी. फार्मा/डी. फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम अनुमोदन के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- पीएमबीजेके को पीओएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जोड़ा जाएगा।
- पैक्स द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के चरण

i. मार्जिन और प्रोत्साहन

- ✓ पीएमबीआई से खरीदी गई प्रत्येक दवा के एमआरपी पर 20% की दर से परिचालन मार्जिन
- ✓ पीएमबीआई से की गई मासिक खरीद पर 20% की दर से सामान्य प्रोत्साहन (प्रति माह 20,000 रुपये तक, अधिकतम 5 लाख रुपये)
  - खरीद के आधार पर 10% प्रोत्साहन (अधिकतम 10,000 रुपये तक)
  - स्टॉक अधिदेश पर 10% प्रोत्साहन (अधिकतम 10,000 रुपये तक)

स्टॉकिंग अधिदेश - उत्पाद श्रेणी 180-200: 100% भुगतान
उत्पाद श्रेणी 150-179: 80% भुगतान
उत्पाद श्रेणी 100-149: 50% भुगतान
उत्पाद श्रेणी < 100: कोई भुगतान नहीं

ii. महिला उद्यमियों / दिव्यांग / एससी / एसटी / पूर्व सैनिकों / आकांक्षी जिलों, हिमालयी राज्यों / द्वीपों, एनईआर राज्यों में व्यक्तियों या पैक्स द्वारा खोले गए किसी भी केंद्र को 20 लाख रुपये तक के एकमुश्त अनुदान के रूप में विशेष प्रोत्साहन 2 लाख रुपये (फर्नीचर और फिक्सचर के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 1.5 लाख रुपये और कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये)

iii. पीएमबीजेके खोलने के लिए आवश्यक शर्तें

• आवेदक को अपना या किराए का स्थान (न्यूनतम 120 वर्ग फुट) उपलब्ध कराना होगा।

• फार्मासिस्ट होने का प्रमाण

• दो पीएमबीजेके के बीच न्यूनतम 1 किमी की दूरी

• 100 या अधिक बिस्तरों वाले जिला अस्पताल/निजी अस्पताल से 500 मीटर तक के आसपास के क्षेत्र में नो डिस्टेंस पॉलिसी

• केंद्र चलाने के लिए आवेदक को औषधि लाइसेंस और अन्य वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी।

• सभी बिलिंग पीएमबीआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की जानी चाहिए।

iv. आवेदन शुल्क - आवेदन के साथ 5000 रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क।

v. आवेदन प्रक्रिया - आवेदक पीएमबीआई की आधिकारिक वेबसाइट**:** **https://janaushadhi.gov.in** के माध्यम से एक नया पीएमबीजेके स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ग 4. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

(i) बायोमास कार्यक्रम

परियोजना का उद्देश्य / दायरा

- उद्योगों में ब्रिकेट और पेलेट तथा बायोमास (गैर-बगास) आधारित सह-उत्पादन के विनिर्माण संयंत्र की स्थापना ,
- बचे हुए कृषि अवशेषों को उपयोग में लाकर पराली जलाने को कम करना,
- बचे हुए कृषि अवशेषों की बिक्री के माध्यम से किसानों को आय उपार्जन के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना तथा बेहतर पर्यावरणीय पद्धतियों को सक्षम बनाना एवं प्रदूषण को कम करना।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)-विनिर्माण संयंत्र के प्रकार के आधार पर 9 लाख रुपये प्रति एमटीपीएच से 210 लाख रुपये प्रति संयंत्र ।

परियोजना प्रस्तुत करना-परियोजना के शुरू होने से पहले जैव ऊर्जा पोर्टल (www.biourja.mnre.gov.in) पर अपना आवेदन जमा करें ।

सीएफए की विमुक्ति –निर्दिष्ट निरीक्षण एजेंसी द्वारा संयंत्र के निरीक्षण के बाद डेवलपर्स को प्रतिपूर्ति के आधार पर धनराशि/निधि संवितरित की जाएगी ।

(ii) बायोगैस कार्यक्रम

उद्देश्य / परियोजना की संभावनाएँ-

- प्रतिदिन 1 M^3 से 2500 M^3 बायोगैस उत्पादन क्षमता वाले छोटे एवं मध्यम बायोगैस संयंत्रों की स्थापना।
- शुद्ध खाना पकाने का ईंधन, प्रकाश व्यवस्था, तापीय आवश्यकताएं एवं छोटी विद्युत उर्जाकी आवश्यकताएं, जीएचजी में कमी लाने हेतु, बेहतर स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण आजीविका सृजन हेतु बायोगैस संयंत्र स्थापित करना ।
- डाइजेस्टिड स्लरी से जैविक समृद्ध जैव-खाद का उत्पादन करके इसकी आपूर्ति से किसानों को लाभ पहुंचाने तथा रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करना ।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)- बायोगैस संयंत्र की क्षमता के आधार पर प्रतिदिन 9,800 रुपये से 45,000 रुपये प्रति किलोवाट/किलोवाट

परियोजना प्रस्तुत करना-परियोजना के शुरू होने से पहले जैव-गैस पोर्टल (www.biogas.mnre.gov.in) पर अपना आवेदन जमा करें ।

सीएफए की विमुक्ति – निर्दिष्ट निरीक्षण एजेंसी द्वारा संयंत्र के निरीक्षण के बाद डेवलपर्स को प्रतिपूर्ति के आधार पर धनराशि/निधि संवितरित की जाएगी।

(iii) अपशिष्ट से ऊर्जा

उद्देश्य / परियोजना की संभावनाएँ -

- शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस/बायो सीएनजी/समृद्ध बायोगैस (मीथेन की उच्च मात्रा एवं कम अशुद्धियाँ)/ विद्युत/उत्पादक या सिंथेटिक गैस के उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता करना।
- बायोमिथेनेशन, गैसीकरण या अन्य अनुमोदित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट (जैसे, फल/सब्जी अपशिष्ट, मवेशियों का गोबर, कृषि अवशेष) का उपयोग करके सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना ।
- नए उपकरणों के साथ क्षमता बढ़ाने हेतु मौजूदा संयंत्रों के विस्तार का समर्थन करना ।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)- परियोजना के प्रकार के आधार पर प्रति परियोजना 0.25 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक ।

परियोजना प्रस्तुत करना-परियोजना के शुरू होने से पहले जैव ऊर्जा पोर्टल (www.biourja.mnre.gov.in) पर अपना आवेदन जमा करें ।

सीएफए को विमुक्ति – डेवलपर्स को अग्रिम/प्रतिपूर्ति* के आधार पर (*निर्दिष्ट निरीक्षण एजेंसी द्वारा संयंत्र के निरीक्षण के बाद) निधि संवितरित की जाएगी।

ग 5. कच्चा माल आपूर्ति योजना -राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

- **वित्तपोषण पद्धति:** 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषण ।
- **योजना अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 (वार्षिक रूप से नवीनीकृत) ।
- **पात्र संस्थाएँ:** बुनकर संस्थाएं जैसे व्यक्तिगत बुनकर, स्वयं सहायता समूह, बुनकर सहकारिताएँ ।
- **प्रमुख उद्देश्य :**

  क. बिचौलियों पर निर्भरता कम करके पात्र हथकरघा बुनकरों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण धागे और उनके मिश्रण (blends) की यथा समय उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

  ख. खुले बाजार में धागे की मानक कीमत एवं गुणवत्ता निर्धारित करना ताकि कीमत उचित सीमा के भीतर रहे, बाजार में निरंतर आपूर्ति एवं गुणवत्ता मापदंड बनाए रखना ।

  ग. इस क्षेत्र में खराब रंगाई वाली सुविधाओं को दूर करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा रंगे हुए धागे की आपूर्ति, उत्पाद विविधीकरण में बुनकरों की सहायता करना तथा इस प्रकार के उत्पाद की विपणन क्षमता बढ़ाना ।

  घ. हथकरघा उत्पादकता पावरलूम की तुलना में कम है, अतः इस क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु मिल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करना ।

- **योजना के अवयव :**

  क. मूल्य सब्सिडी अवयव
  ख. परिवहन सब्सिडी अवयव

- **प्रमुख योजना लाभ:**

  क. मात्रात्मक प्रतिबंधों सहित चयनित धागों के प्रकारों (लिंक किए गए बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से) पर 15% मूल्य सब्सिडी ।

  ख. धागा (सभी प्रकार) के परिवहन हेतु माल ढुलाई प्रतिपूर्ति।धागा के प्रकार के आधार पर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों को अतिरिक्त माल ढुलाई सब्सिडी।

  ग. उपर्युक्त के अतिरिक्त, डिपो (मालगोदाम) का संचालन करने वाली एजेंसियों को गोदाम से सीधे व्यक्तिगत बुनकरों को आपूर्ति किए गए धागे के मूल्य का 1.0% (एक प्रतिशत) डिपो संचालन शुल्क प्रदान किया जाता है । (15000 रुपये/प्रति माह तक सीमित)

- **आवेदन प्रक्रिया :**

  क. एनएचडीसी ने बुनकरों एवं धागा आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई-धागा ऐप तथा ऑनलाइन ईआरपी पोर्टल विकसित किया है ।

  ख. आरएमएसएस के अंतर्गत, पात्र लाभार्थी एनएचडीसी वेबसाइट से निर्धारित प्रारूप का उपयोग करके धागा पासबुक के लिए आवेदन कर सकते हैं और ई-धागा ऐप या एनएचडीसी ईआरपी पोर्टल के माध्यम से इंडेंट / ऑर्डर दे सकते हैं ।

  ग. इसके बाद, वे अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से धागा खरीद सकते हैं और पंजीकृत बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से मूल्य सब्सिडी और माल ढुलाई प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

ग 6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम – विकास आयुक्त हैंडलूम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ।

- **वित्तपोषण पद्धति:** केंद्रीय एवं राज्य (अवयवों के आधार पर)
- **कार्यान्वयन एजेंसी: योजना अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26
- **पात्र संस्थाएँ :** हथकरघा बुनकर, स्वयं सहायता समूह, सहकारिताएँ, उत्पादक कंपनियां, आदि ।
- **प्रमुख उद्देश्य:**
  - क. व्यावसायिक जोखिमों को न्यूनतम करने एवं बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - ख. हथकरघा श्रमिकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष संपर्क/लिंकेजके साथ-साथ समान विपणन अवसर प्रदान करना ।
  - ग. हथकरघा श्रमिकों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना ।
  - घ. ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देना तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठ/पहचान बढ़ाना ।
  - ङ. पारंपरिक डिजाइनों, जनजातीय बुनाई, लुप्त होती बुनाई, करघों आदि का संरक्षण और संग्रहण सुनिश्चित करना ।
  - च. हथकरघा क्लस्टरों का सतत विकास सुनिश्चित करना ।
- **योजना के अवयव:**
  - क. लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम
  - ख. हथकरघा विपणन सहायता
  - ग. आवश्यकता आधारित विशेष अवसंरचना परियोजना
  - घ. मेगा क्लस्टर विकास कार्यक्रम
  - ङ. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना
  - च. हथकरघा बुनकर कल्याण
  - छ. अन्य विविध एवं संवर्धनात्मक अवयव
  - ज. कोई अन्य अवयव
- **मुख्य योजना लाभ :**
  - क. हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 90% लागत (बुनकरों द्वारा 10%) वहन करने के साथ करघा एवं सहायक उपकरण उन्नयन तक पहुंच ।
  - ख. शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति -एनआईओएस/इग्नू आदि के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल/महिलाओं हेतु 75% ।
  - ग. रियायती ऋण/मुद्रा ऋण @6%, ऋण का 20% एमएम(प्रति बुनकर 25,000/- रुपये तक और प्रति संस्था 20 लाख रुपये तक), स्वीकृति से 3 वर्षों तक ऋण गारंटी ।
  - घ. बुनकरों के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ।
  - ङ. डिजाइन एवं उत्पाद विकास, तथा विपणन पहल (प्रदर्शनियां, क्रेता-विक्रेता बैठकें) के लिए समर्थन ।

आवेदन प्रक्रिया :

- क. जिस अवयव के अंतर्गत आवेदन करना है, उसको चिन्हित करें ।
- ख. विस्तृत योजना दिशानिर्देशों, आवेदन प्रपत्र/फॉर्म, नियत समय-सीमा हेतु एनएचडीपी / वस्त्र मंत्रालय / विकास आयुक्त (हथकरघा) की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के हथकरघा विभाग की वेबसाइट पर देखें।

ग 7. राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम – विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

- **वित्तपोषण पद्धति:** 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित
- **योजना अवधि:** वर्ष 2022-23 से 2025-26
- **पात्र संस्थाएँ:** कारीगर एवं शिल्पकार, स्वयं सहायता समूह, सहकारिताएँ, कारीगर उत्पादक कंपनियां, आदि।
- **प्रमुख उद्देश्य:**

  क. डिजाइन, प्रौद्योगिकी एवं बाजार समर्थन के माध्यम से हस्तशिल्प के विकास तथा संवर्धन को समर्थन देना।

  ख. हस्तशिल्प कारीगरों की आय, आजीविका एवं कौशल स्तर में वृद्धि करना ।

  ग. हस्तशिल्प की मूल्य श्रृंखला में अवसंरचना एवं लिंकेज को सुदृढ़ करना ।

  घ. नवप्रवर्त्तन को सक्षम करते हुए पारंपरिक हस्तशिल्प विरासत को संरक्षित एवं बढ़ावा देना ।

  ङ. प्रचालन में पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एसएमई क्षेत्र में कारीगरों का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना ।

- **योजना के अवयव:**

  क. विपणन सहायता एवं सेवाएँ

  ख. हस्तशिल्प क्षेत्रक कौशल विकास

  ग. अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

  घ. कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ

  ङ. अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता

  च. अनुसंधान एवं विकास

- **प्रमुख योजना लाभ:**

  क. विपणन कार्यक्रमों (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय), मेलों, गांधी शिल्प बाजार, प्रशिक्षण, डिजाइन एवं कौशल विकास, पुरस्कार, सामान्य सुविधाओं के विकास, एम्पोरियम एवं हाट आदि में सहभागिता हेतु वित्तीय सहायता ।

  ख. मुद्रा ऋण @ 6% तथा एमएम @ ऋण का 20% (प्रति बुनकर 25,000/- रुपये तक) - केवल व्यक्तियों हेतु ।

  ग. विपणन सहायता, कौशल विकास, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) ।

  घ. कारीगरों को वृत्तिका, बेहतर टूलकिट, बीमा, अवसंरचना,अनुसंधान एवं विकास आदि के रूप में प्रत्यक्ष लाभ।

- **आवेदन प्रक्रिया:**

  क. "इंडियन हेंडीक्राफ्ट" पोर्टल पर जाएँ तथा पोर्टल पर कारीगरों के लिए पहचान प्रणाली समेत पंजीकरण करें । जिस अवयव के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, उसको चिन्हित करें ।

  ख. विस्तृत योजना दिशानिर्देशों, आवेदन प्रपत्र/फॉर्म, नियत समय-सीमा हेतु वस्त्र मंत्रालय/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हस्तशिल्प विभाग की वेबसाइट पर जाएं ।

ग 8. जूट कच्चा माल बैंक योजना (जेआरएमबी) - राष्ट्रीय जूट बोर्ड (एनजेबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

- **वित्तपोषण पद्धति:** 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित
- **योजना की अवधि :** वर्ष 2021-22 से 2025-26 (वार्षिक रूप से नवीनीकृत)
- **पात्र संस्थाएं :** व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्था, सहकारिताएँ, एमएसएमई आदि खरीदार के रूप में एवं साथ ही जेआरएमबी संचालन एजेंसी (ओए)
- **प्रमुख उद्देश्य :**
  - क. कारीगरों, बुनकरों एवं छोटे उद्यमियों को उचित मूल्य पर जूट कच्चे माल की नियमित एवं यथासमय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जूट कच्चा माल बैंक (जेआरएमबी) की स्थापना करना ।
  - ख. विविध अनुप्रयोगों तथा जूट के मूल्य संवर्धन हेतु महीन काउंट यार्न, 100% जूट / यूनियन / मिश्रित, लेमिनेटेड फैब्रिक, तकनीकी वस्त्र एवं अन्य ब्रेडेड, सजावटी धागों की आपूर्ति करना ।
  - ग. जूट क्षेत्र में उद्यमशीलता एवं आजीविका सृजन को समर्थन देना ।
  - घ. गैर-पारंपरिक एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक स्थापित करके कच्चे माल की आपूर्ति में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना ।
- **प्रमुख योजना लाभ :**
  - क. पात्र वार्षिक बिक्री पर जेआरएमबी ओए को 30% सब्सिडी, प्रति जेआरएमबी प्रति वर्ष ₹12 लाख तक सीमित ।
  - ख. इस 30% की सहायता में से, जेआरएमबी द्वारा लाभार्थियों को मिल/निर्माताओं की गेट दर पर 5% नकद छूट दी जाएगी ।
  - ग. माल ढुलाई सब्सिडी (पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप - अतिरिक्त माल ढुलाई प्रतिपूर्ति के रूप में ₹1.50/कि.ग्रा.) ।
- **आवेदन प्रक्रिया :**
  - क. एनजेबी की वेबसाइट पर जाएं तथा जेआरएमबी योजना के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश प्राप्त करें । इनमें प्रारूप, मानदंड, धाराएं, विस्तृत योजना दिशानिर्देश, आवेदन प्रपत्र/फॉर्म, समय-सीमाएं आदि सम्मिलित हैं ।
  - ख. निर्धारित आवेदन/प्रस्ताव प्रपत्र डाउनलोड करें और तदनुसार आवेदन करें ।

ग 9. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) 2.0 – पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

उद्देश्य : एनपीडीडी का उद्देश्य दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा व्यवस्थित खरीद, प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन तथा विपणन में हिस्सेदारी बढ़ाना है । इस योजना के दो अवयव हैं ।

अवयव क: राज्य डेयरी संघ /जिला सहकारी दुग्ध उत्पादकों हेतु गुणवत्तायुक्त दूध परीक्षण उपकरणों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं, दूध प्रसंस्करण संयंत्रों एवं मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की सुविधाओं तथा डेयरी सहकारी समितियों के साथ पुराने दूध प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।

अवयव ख : जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ पहले से हस्ताक्षरित परियोजना समझौते के अनुसार, यह एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इस परियोजना में केंद्र सरकार का हिस्सा एनपीडीडीके माध्यम से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है । इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सभी जिले सम्मिलित है ।

अवयव : क

उद्देश्य:

क) शीत श्रृंखला अवसंरचना के माध्यम से किसान को उपभोक्ता से जोड़ने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त करने हेतु अवसंरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण करना ।

ख) शुद्ध दूध उत्पादन के लिए डेयरी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

ग) गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध दूध उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना ।

घ) गुणवत्तापूर्ण दूध एवं दूध से बने उत्पादों पर शोध एवं विकास को समर्थन देना ।

प्रचालन का क्षेत्र: समस्त भारत में

कार्यान्वयन अवधि : वर्ष 2021-22 से 2025-26 तथा 2027-28 तक जारी रहेगा.

वित्त पोषण पद्धति:

क. भारत सरकार एवं राज्य/राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए)/अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के बीच 50:50 लागत साझाकरण आधार ।

ख. पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भारत सरकार तथा राज्य/एसआईए/ ईआईए के बीच 70:30 लागत साझाकरण।

ग. एसआईए/ईआईए के मामले में,यदि लागू हो, अपना समतुल्य हिस्सा प्रदान करने में असमर्थ है,संबंधित एसआईए/ईआईए अपना समतुल्य हिस्सा राज्य सरकार या एनसीडीसी से प्राप्त कर सकता है ।

पात्र उधारकर्ता:

- सहकारी दुग्ध संघ/राज्य सहकारी डेयरी संघ/बहुराज्यीय दुग्ध सहकारिताएँ/दुग्ध उत्पादक कंपनियां/एनडीडीबी सहायक कंपनियां/एफपीओ/एसएचजी (राज्य सहकारी या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत)।

एनपीडीडी के अंतर्गत पात्र गतिविधियाँ:

क्रं. सं	गतिविधियाँ	वित्तपोषण पद्धति
1	दूध की खरीद (ग्राम डेयरी सहकारी समिति की स्थापना)	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्र के दुग्ध संघ/महासंघ हेतु : केन्द्रीय सहायता 75% होगी तथा अन्य राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता 50% होगी।
2	दूध शीतलन सुविधाएं (प्राथमिक स्तर पर थोक दुग्धशीतल (बीएमसी) सहित)	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के दुग्ध संघों/ महासंघों हेतु : केंद्रीय सहायता 75% होगी। अन्य राज्यों के लिए : केन्द्रीय सहायता 50% होगी ।
3	दुग्ध प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (विशेष रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों एवं संघ राज्य क्षेत्रों हेतु)	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के दुग्ध संघ/महासंघ हेतु : केन्द्रीय सहायता 75% होगी तथा अन्य राज्यों के लिए 50% होगी।
4	दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के दुग्ध संघ/महासंघ हेतु: केन्द्रीय सहायता 70% होगी तथा अन्य राज्यों के लिए 50% होगी।
5	प्रमाणन एवं मान्यता	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के दुग्ध संघ/महासंघ हेतु: केन्द्रीय सहायता 70% होगी तथा अन्य राज्यों के लिए 50% होगी।
6	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 100% होगी ।
7	अनुसंधान/शोध एवं विकास	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 35% (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) होगी ।
8	2 दुग्ध उत्पादक कंपनी की स्थापना	सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता 35% (अधिकतम 15 करोड़ रुपये) होगी ।
9	योजना एवं निगरानी	पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य सभी राज्यों के दुग्ध संघ/महासंघ के लिए केंद्रीय सहायता 100% होगी ।

एनपीडीडी के तहत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- सहकारिताएँ/दुग्ध संघ प्रस्ताव तैयार करके एसआईए को प्रस्तुत करेंगे ।
- एसआईए प्रस्ताव को समेकित करेगा एवं संस्तुति के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति को प्रस्तुत करेगा।
- प्रधान सचिव (पशुपालन एवं डेयरी) की अध्यक्षता में एसएलएमसी प्रस्ताव की जांच करेगी और डीएडीएच, भारत सरकार को संस्तुति प्रदान करेगी ।
- सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास, भारत सरकार की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, द्वारा परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, पीएससी को अवयवों/अनुमोदित उप-परियोजनाओं के भीतर निधियों के पुनर्विनियोजन, मानदंडों में परिवर्तन तथा परियोजना की मदों की इकाई लागत में परिवर्तन करने की शक्ति होगी।

ग 10. डेयरी सहकारिताएँ एवं किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी एवं एफपीओ) को समर्थन

- **उद्देश्य :**एसडीसी एवं एफपीओ (पशुपालन और डेयरी विभाग, (डीएएचडी), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की योजना) का उद्देश्य दूध सहकारिताओं एवं दूध से बने उत्पादक कंपनियों को समर्थन देने हेतु कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करना है ।

- **परिव्यय** : एसडीसी एवं एफपीओ का कुल बजटीय परिव्यय 203 करोड़ रुपये है ।

- **कार्यान्वयन अवधि :** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तथा 2025-26 तक जारी रखा जाएगा ।

- **प्रचालन क्षेत्र :** समस्त भारत में

- **पात्र संस्थाएं :** सहकारी दुग्ध संघ/राज्य सहकारी डेयरी संघ/बहुराज्यीय दुग्ध सहकारी समितियां/दुग्ध उत्पादक कंपनियां ।

- **पात्र वस्तु :** इस योजना के अंतर्गत एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पाउडर), सफेद मक्खन, डब्ल्यूएमपी (संपूर्ण दूध पाउडर), घी आते हैं ।

- **ब्याज छूट** : ब्याज छूट एक वर्ष में अधिकतम 12 महीनों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया जाएगा । लाभार्थियों को ऋण की शीघ्र एवं यथासमय अदायगी के लिए 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

- **आवेदन प्रक्रिया :** पात्र उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव एनडीडीबी को प्रस्तुत किए जाएँगे । प्रारंभिक जाँच के बाद, एनडीडीबी ऋण स्वीकृत करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को परियोजना की संस्तुति करेगी । डीएएचडी से अनुमोदन के बाद एनडीडीबी के माध्यम से अनुदान संवितरित किया जाएगा ।

****योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसडीसी एवं एफपीओ योजना के अंतर्गत केवल बैंक/वित्तपोषण संस्थान (एफआई) (आरबीआई अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/सहकारी बैंक/ वित्तीय संस्थान) पात्र ऋण एजेंसी हैं। इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी ऋण देने के लिए पात्र नहीं है।***

रा.स.वि.नि. के क्षेत्रीय निदेशालय

बेंगलुरू के.एच.बी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, नेशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला, बेंगलुरू, कर्नाटक -560047 फोन : 080-25702112 फैक्स : 080-25701860 मो.नं. : 9311765334 ईमेल : ro.bangalore@ncdc.in क्षेत्राधिकार: कर्नाटक	**भोपाल** ए-8, तीसरा तल, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल, मध्य प्रदेश -462003 फोन : 0755-4902397 फैक्स : 0755-4902392 मो.नं. : 9311765335 ईमेल : ro.bhopal@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मध्य प्रदेश	**भुवनेश्वर** आलोक भारती कॉम्प्लेक्स, भू-तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा-751007 फोन : 0674-4617676 फैक्स : 0674-2545874 मो.नं. : 9311765336 ईमेल : ro.bhubaneswar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : ओडिशा
चंडीगढ़ बे नं. 1 एवं 2, सेक्टर 14, पंचकुला, हरियाणा - 134113 फोन : 0172-2992857 फैक्स : 0172-2992657 मो.नं. : 9311765337 ईमेल : ro.chandigarh@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, तथा चंडीगढ़	**चेन्नई** मॉड्यूल 34-35, गार्मेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु-600032 फोन : 044-22500034, 22500824 फैक्स : 044-22500034 मो.नं. : 9311765338 ईमेल : ro.chennai@ncdc.in क्षेत्राधिकार : तमिलनाडु तथा पुडुचेरी	**देहरादून** बी-2, फ्रेन्डस एन्क्लेव, शाह नगर, गोरखपुर डाकघर, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड -248001 फोन : 0135-4144359 फैक्स : 0135-4144359 मो.नं. : 9311765339 ईमेल : ro.dehradun@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तराखंड
गांधीनगर प्लॉट नं.- 272-273, जी.एच.रोड़, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, सेक्टर-16, गांधीनगर, गुजरात - 382016 फोन : 079-23222293, फैक्स : 079-23238292 मो.न : 9311765340 ईमेल : ro.gandhinagar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : गुजरात तथा दमन एवं दीव	**गुवाहाटी** ब्लॉक नं. v, तीसरा तल, हाउसफेड कॉम्पलेक्स, बेलटोला, गुवाहाटी, असम -781006 फोन: 0361-2526327 मो.नं.-9311765341 ईमेल: ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश तथा मिजोरम	**हैदराबाद** 5-10-193, एच.ए.सी.ए.भवन, दूसरा तल, पब्लिक गार्डन के सामने, हैदराबाद, तेलंगाना - 500004 फोन : 040-23233760 फैक्स : 040-23240615 मो.नं. : 9311765342 ईमेल : ro.hyderabad@ncdc.in क्षेत्राधिकार : तेलंगाना
जयपुर प्रथम तल, सेंट्रल ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान - 302001 फोन : 0141-2740327 फैक्स : 0141-2740327 मो.नं. : 9311765343 ईमेल : ro.jaipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : राजस्थान	**कोलकाता** पी-161/1, चौथा तल, वी.आई.पी. रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700054 फोन : 033-23554943 फैक्स : 033-2355538 मो.नं : 9311765344 ईमेल : ro.kolkata@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	**लखनऊ** सहकारिता भवन, 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001 फोन : 0522-2289093 फैक्स : 0522-4231523 मो.नं. : 9311765345 ईमेल : ro.lucknow@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश
पुणे 5, बी.जे. रोड, प्रथम तल, एमआरएसएस भवन, पुणे, महाराष्ट्र -411001 फोन : 020-26127049 मो.नं. : 9311765347 ईमेल : ro.pune@ncdc.in क्षेत्राधिकार : महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर एवं नगर हवेली	**पटना** ए-ब्लॉक, कमरा सं. 20-21, दूसरा तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड़, पटना, बिहार -800001 फोन : 0612-2221467 फैक्स : 0612-2211604 मो.नं. : 9311765346 ईमेल : ro.patna@ncdc.in क्षेत्राधिकार : बिहार	**रायपुर** दसवां तल, टावर-सी कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, सी.बी.डी., सैक्टर-21, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़- 492002 फोन : 0771-2999370 फैक्स : 0771-2999370 मो.नं. : 9311765348 ईमेल : ro.raipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : छत्तीसगढ़
रांची एम-23/डीएस, हरमू हाउसिंग कालोनी, हरमू, रांची, झारखण्ड - 834002 फोन : 0651-3501552 मो.नं. : 9311765349 ईमेल : ro.ranchi@ncdc.in क्षेत्राधिकार : झारखंड	**शिमला** गार्गे निवास, सरकारी हाईस्कूल के नजदीक, लोअर कैथू, शिमला, हिमाचल प्रदेश -171003 फोन : 0177-2657689 फैक्स : 0177-2658735 मो.नं. : 9311765350 ईमेल : ro.shimla@ncdc.in क्षेत्राधिकार : हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख	**तिरूवनन्तपुरम** टी.सी. नं-11/808, जी.वी.-2, नालन्दा जंक्शन, नन्थनकोड जंक्शन, कोडियार, पो.-तिरूवनन्तपुरम, केरल-695003, फोन : 0471-2318497 फैक्स : 0471-2311673 मो.नं. : 9311765351 ईमेल : ro.tvm@ncdc.in क्षेत्राधिकार : केरल तथा लक्षद्वीप

रा.स.वि.नि. के क्षेत्रीय निदेशालय

विजयवाड़ा
चतुर्थ तल, एपी मार्कफेड भवन, विजयवाड़ा,
आन्ध्र प्रदेश-520007
मो.नं. : 9311788292
ईमेल : ro.vijayawada@ncdc.in
क्षेत्राधिकार: आन्ध्रप्रदेश

रा.स.वि.नि. के उप कार्यालय

जम्मू एवं कश्मीर (क्षेत्रीय निदेशालय चंडीगढ़ के अधीन) पंजीयक सहकारी समितियां कार्यालय जम्मू एवं कश्मीर का सहकारी परिसर, द्वितीय तल, राजेन्द्र नगर, बनतालाब, जम्मू एवं कश्मीर -181123 मो.नं. : 9311765337 ईमेल : ro.chandigarh@ncdc.in क्षेत्राधिकार : जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	**सिक्किम** (क्षेत्रीय निदेशालय कोलकाता के अधीन) सिक्किम राज्य सहकारी संघ (एसआईसीयूएन) प्रशासनिक भवन, असम लिंगजेई, पोस्ट रानीपुल, पाकियांग जिला, सिक्किम -737135 मो.नं. : 9311765344 ईमेल : ro.kolkata@ncdc.in क्षेत्राधिकार : सिक्किम	**मणिपुर** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं. 9, प्रथम तल, आरसीएस का प्रशासनिक भवन, लैम्फेलपट, इंफाल पश्चिम जिला, मणिपुर-795004 मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मणिपुर
अरूणाचल प्रदेश (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं. 6, प्रथम तल, आर.सी.एस ऑफिस, डी सेक्टर, हाई कोर्ट के पास, नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश-791110. मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : अरूणाचल प्रदेश	**त्रिपुरा** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) त्रिपुरा पुनर्वास प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (टीआरआरपीसी लिमिटेड), प्रथम तल, हैमखरी नुह्मुंग बिल्डिंग, पंडित नेहरू कॉम्प्लेक्स, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा - 799006 मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : त्रिपुरा	**मिजोरम** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं. 201, द्वितीय तल, आरसीएस कार्यालय भवन, जरकावत, आईजावल, मिजोरम -796001 मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मिजोरम
मेघालय (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) प्रथम तल, मेकोफेड लि., मुख्यालय - लुम्डिएनग्री, शिलांग -793002. मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मेघालय	**नागालैंड** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं. 111, हाई कोर्ट के नीचे, मेरईमा, नागालैंड - 797004. मो.नं. : 9311765341 ईमेल : ro.guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : नागालैंड	**लद्दाख** (क्षेत्रीय निदेशालय शिमला के अधीन) बामी दुनिया, सहकारी समिति, सुपर बाजार, बस स्टैंड के पास, बीएसएनएल ऑफिस लेह-लद्दाख,-194101. मो.नं.- 9311765350 ई-मेल : ro.shimla@ncdc.in क्षेत्राधिकार : लेह-लद्दाख

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास,
नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 011-20862512/20862866

www.ncdc.in | @MdNcdc | NCDC India | NCDC India | Sahakar Cooptube
NCDC India